माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर

पाठ्यक्रम (Syllabus) परीक्षा 2024

कक्षा-11

विषय : हिन्दी अनिवार्य (01)

समय : 3.15 घण्टे **पूर्णांक : 100**

अधिगम क्षेत्र	**अंक**
अपठित	12
रचनात्मक तथा व्यावहारिक लेखन	25
व्यावहारिक व्याकरण	08
पाठ्यपुस्तक : **आरोह** (भाग–1)	40
पूरक–पुस्तक : **वितान** (भाग–1)	15

1. अपठित : **12**

(i) काव्यांश—10 से 12 पंक्तियाँ : (काव्यांश पर आधारित छह बहुचयनात्मक प्रश्न) 06

(ii) गद्यांश—150 से 200 शब्द : (गद्यांश पर आधारित छह बहुचयनात्मक प्रश्न) 06

2. रचनात्मक तथा व्यावहारिक लेखन : **25**

(i) निबन्ध (आधुनिक विषय पर विकल्प सहित) (लगभग 300 शब्द) 06

(ii) कार्यालयी पत्र (विकल्प सहित) 05

(iii) प्रिंट माध्यम के फीचर (समाचार और सम्पादकीय) 05

(iv) प्रतिवेदन/आलेख 05

(v) जनसंचार माध्यम पर आधारित प्रश्न (दो अतिलघूत्तरात्मक एवं एक लघूत्तरात्मक प्रश्न) 04

3. व्यावहारिक व्याकरण : **8**

(i) अविकारी शब्द 02

(ii) शब्द विचार 02

(iii) वाक्यांश के लिए एक शब्द, समानार्थी शब्द 02

(iv) वाक्य विचार 02

4. आरोह (गद्य-भाग—20 अंक, काव्य-भाग—20 अंक) **40**

(गद्य-भाग)

(i) दो में से एक गद्यांश पर आधारित सप्रसंग व्याख्या 04

(ii) पाठों की विषय–वस्तु पर आधारित प्रश्न (चार अतिलघूत्तरात्मक, तीन लघूत्तरात्मक एवं विकल्प सहित दो दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न) 16

(काव्य-भाग)

(i) दो काव्यांशों में से किसी एक पर सप्रसंग व्याख्या 04

(ii) कविता की विषय–वस्तु पर आधारित प्रश्न (चार अतिलघूत्तरात्मक, तीन लघूत्तरात्मक एवं विकल्प सहित दो दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न) 16

5. वितान— भाग 1 **15**

(i) पाठों की विषय–वस्तु पर आधारित तीन बहुचयनात्मक, दो अतिलघूत्तरात्मक एवं तीन लघूत्तरात्मक प्रश्न) 11

(ii) विषय–वस्तु पर आधारित दो में से एक निबन्धात्मक प्रश्न 04

निर्धारित पुस्तकें :

1. **आरोह—भाग 1—**एन.सी.ई.आर.टी. से प्रतिलिप्याधिकार अन्तर्गत प्रकाशित
2. **वितान—भाग 1—**एन.सी.ई.आर.टी. से प्रतिलिप्याधिकार अन्तर्गत प्रकाशित
3. **अभिव्यक्ति और माध्यम—**एन.सी.ई.आर.टी. से प्रतिलिप्याधिकार अन्तर्गत प्रकाशित

Board of Secondary Education Rajasthan, Ajmer

Syllabus for the Examination - 2024

Class - XI

Subject : ENGLISH (Compulsory) (02)

Time : 3.15 Hours **Marks : 100**

Areas of Learning	**Marks**
Reading	20
Writing	18
Grammar	16
Textual Questions (i) Text Book : **Hornbill** (ii) Supp. Book : **Snapshots**	46

1. Reading **20**

Two unseen passages (around 350 words for both)

(i) Unseen Passage 1—The passage may be factual, descriptive or literary. Four multiple choice questions and Six very short answer type questions to be asked to assess comprehension, interpretation, inference and vocabulary. 10

(ii) Unseen Passage 2—The passage may be case-based with verbal/visual inputs like statistical data, diagrams, charts etc.
Four multiple choice type questions and Six very short answer type questions to be asked to assess comprehension, analysis, inference and vocabulary. 10

2. Writing **18**

(i) One out of two tasks—description of any event or incident, or a process based on hints 100-120 words. 06

(ii) One out of two composition—an article, a report, a speech (Around 100-120 words) 06

(iii) One out of two letters (Business or official letters for enquiries, complaints, asking for information, placement of a person or an order etc. or letter to the school authorities regarding admissions, school issues, requirements, suitability of courses etc. 06

3. Grammar **16**

(i) Determiners 04

(ii) Tenses 04

(iii) Modals 04

(iv) Prepositions of motion, time, space and mental attitude 04

4.	**Text Books :**	**46**
	Hornbill—Prose	**20**
	(i) One out of two extracts from the prescribed text for comprehension. (Six Very Short Answer Type Questions)	06
	(ii) Three out of four Short Answer Type Questions. (around 20-30 words)	06
	(iii) Two Long Answer Type Questions (with option). (around 60 words)	08
	Hornbill—Poetry	**12**
	(i) One out of two extracts for reference to context from the prescribed poems.	04
	(ii) Two out of three Short Answer Type Questions. (around 20-30 words)	04
	(iii) One out of two Long Answer Type Questions. (around 60 words)	04
	Supplementary Reader—Snapshots	**14**
	(i) One out of two questions to test the evaluation of characters, events and episodes. (in about 60 words)	04
	(ii) Three out of four Short Answer Type Questions to be answered in about 20-30 words on content, events and episodes.	06
	(iii) Four Multiple Choice Questions.	04

Prescribed Books :

1. **Hornbill—**NCERT's Book Published under Copyright
2. **Snapshots—**NCERT's Book Published under Copyright

समाज सेवा शिविर

1. प्रस्तावना

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी देश की युवा शक्ति को पूर्णतः समाज सेवा की सृजनशील धारा की ओर उन्मुख करने के पक्षधर थे, इसलिए उनका कहना था "विद्यार्थी समाज की आर्थिक और सामाजिक अक्षमता के संबंध में न केवल वैचारिक सहानुभूति रखें, वरन वे संख्यात्मक कार्यों में उत्साह से भाग भी लें, ताकि नागरिकों के जीवन स्तर को आर्थिक और नैतिक दृष्टि से उन्नत किया जा सके।" इसके अलावा अनेक शिक्षाविद्ों एवं समाजसेवियों ने भी समाज सेवा के महत्व को प्रतिपादित किया, अतः विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करने के साथ–साथ समाज सेवा करने हेतु भी प्रेरित किया जाता है। इसका यह ध्येय इसलिए भी रखा गया है कि विद्यार्थियों की सामाजिक चेतना को जाग्रत किया जाये जिससे वे अपने गांव/शहर के नागरिकों के साथ मिलकर सृजनात्मक और रचनात्मक कार्य भी कर सकें तथा जो शिक्षा वे ग्रहण करते हैं उसे समाजोन्मुखी करके सामाजिक उपयोग में ले सकें। इसके अलावा विद्यार्थी समाज सेवा के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का विकास करें और अपने अनुभव विकसित करें। शिक्षा का लक्ष्य विद्यार्थी के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है तथा समाज सेवा विद्यार्थी के व्यक्तित्व के विकास में सहायक है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य में कक्षा 9 से 10 तक के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में "समाजोपयोगी उत्पादन कार्य एवं समाज सेवा" विषय भी समाहित है और कतिपय चयनित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 11 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय समाज सेवा योजना (एन. एस. एस.) भी संचालित है। कक्षा ग्यारह उत्तीर्ण विद्यार्थियों द्वारा ग्रीष्मावकाश में दो सप्ताह के लिए समाज सेवा करना प्रस्तावित है, परन्तु एन.एस.एस. से जुड़े विद्यार्थी इससे मुक्त रहेंगे।

2. उद्देश्य

कक्षा ग्यारह उत्तीर्ण विद्यार्थियों द्वारा ग्रीष्मावकाश में समाज सेवा करने के उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

- ☞ विद्यार्थियों को समाजिक जीवन से सरोकार करवाना।
- ☞ विद्यार्थियों को निःस्वार्थ भाव से सेवा करने हेतु प्रेरित करना।
- ☞ विद्यार्थियों में सामाजिक दायित्व और सद्नागरिक के भाव विकसित करना।
- ☞ विद्यार्थियों में सामुदायिक समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना।
- ☞ विद्यार्थियों में सामूहिक जीवन जीने का कौशल उत्पन्न करना।
- ☞ विद्यार्थियों को सामाजिक गतिविधियों में सहभागिता निभाने हेतु तैयार करना।
- ☞ विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आदर भाव उत्पन्न करना।
- ☞ विद्यार्थियों में पारस्परिक सहयोग की भावना पैदा करना।
- ☞ विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एकता की भावना पनपाना।
- ☞ विद्यार्थियों में श्रम के प्रति निष्ठा प्रतिष्ठापित करना।

3. विद्यार्थियों का चयन

राजकीय/अनुदानित/गैर अनुदानित उच्च माध्यमिक विद्यालयों से कक्षा ग्यारह उत्तीर्ण विद्यार्थियों द्वारा ग्रीष्मावकाश में समाज सेवा की गतिविधियों में अनिवार्यतः भाग लिया जायेगा। एन.एस.एस. से जुड़े विद्यार्थी इससे मुक्त रहेंगे।

4. समाज सेवा की गतिविधियाँ

विद्यार्थियों द्वारा समाज सेवा से संबंधित अग्रांकित मुख्य–मुख्य गतिविधियों में सहभागिता निभाना प्रस्तावित है–राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सद्भाव, परिवार कल्याण, पर्यावरण संवर्द्धन एवं संरक्षण,

साक्षरता के प्रति जाग्रति, मतदान के प्रति संचेतना, कानूनी साक्षरता, उपभोक्ता संरक्षण, अल्प बचत, सरकारी योजनाओं की जानकारी, प्राथमिक उपचार का ज्ञान, यातायात नियम, प्राकृतिक आपदाओं में सावधानियाँ, ऋण उपलब्धता, अन्धविश्वासों का उन्मूलन, सामाजिक बुराइयों का निवारण, बुक बैंक की स्थापना, वाचनालय की व्यवस्था, चल पुस्तकालय का संचालन, विद्यालय भवन का सौन्दर्यीकरण, सार्वजनिक स्थल की सफाई, सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण, विकासात्मक कार्य, बीमारों की सेवा–सुश्रूषा, लाचार व्यक्तियों की सेवा, निरक्षरों के पत्र पढ़ना–लिखना, सार्वजनिक स्थल पर जल सेवा, समारोह–उत्सव में सहयोग, क्रीड़ा केन्द्र का संचालन, वस्तुओं का निर्माण, सर्वेक्षण का कार्य आदि। इसके अलावा भी उपलब्ध संसाधनों एवं स्थानीय आवश्यकताओं के मद्दे नजर अन्य गतिविधियों का चयन भी किया जा सकता है।

5. संस्था प्रधान के दायित्व

विद्यार्थियों द्वारा समाज सेवा की क्रियान्विति करने के लिए संस्था प्रधान की मुख्य भूमिका होगी। इसके लिए उनके निम्नलिखित दायित्व होंगे –

- ☞ समाज सेवा की गतिविधियों के संचालन हेतु विद्यालय स्तर पर योग्य व्याख्याता/वरिष्ठ अध्यापक को प्रभारी शिक्षक के रूप में नियुक्त करना।
- ☞ प्रभारी शिक्षक को भी विद्यार्थियों के किसी एक दल का दलनायक शिक्षक अनिवार्यतः नियुक्त करना।
- ☞ प्रभारी शिक्षक एवं दलनायक शिक्षकों के साथ सभी शिक्षकों की एक दिवसीय बैठक वार्षिक परीक्षा से पूर्व आयोजित कर उन्हें समाज सेवा की कार्य योजना की जानकारी उपलब्ध करवाना।
- ☞ विद्यार्थियों के समक्ष प्रार्थना सभा में समाज सेवा के महत्व पर प्रकाश डालना।
- ☞ कार्य योजना के सुसंचालन एंव सफलता हेतु शिक्षक अभिभावक परिषद्, विद्यालय विकास समिति और जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित कर बैठक का आयोजन करना।
- ☞ स्थानीय अथवा आस–पास में स्थापित अन्य विभागों के अधिकारियों को आमंत्रित कर उनसे सहयोग प्राप्त करना।
- ☞ ग्रीष्मावकाश में उपस्थित नहीं रहने से ग्रीष्मावकाश से पूर्व समस्त कार्य योजना बनाकर उसकी क्रियान्विति सुनिश्चित करना।
- ☞ राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार ग्रीष्मावकाश में कार्य करने वाले प्रभारी शिक्षक प्रत्येक दलनायक शिक्षक का उपार्जित अवकाश का लाभ स्वीकृत करना।
- ☞ विद्यार्थियों की मूल्यांकन के आधार पर प्राप्त श्रेणियां सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर को सत्रांक के साथ अनिवार्यतः प्रेषित करना।

6. प्रभारी शिक्षक के दायित्व

विद्यार्थियों द्वारा समाज सेवा की क्रियान्विति करने के लिए प्रभारी शिक्षक के निम्नलिखित दायित्व होंगे –

- ☞ व्याख्याता/वरिष्ठ अध्यापकों में से अधिकतम 50 विद्यार्थियों पर एक दलनायक शिक्षक का चयन करना।
- ☞ विद्यार्थियों के किसी एक दल के दलनायक को शिक्षक के रूप में भी कार्य करवाना।
- ☞ विद्यार्थियों द्वारा चयनित गतिविधियों के आधार पर दलनायक शिक्षकों के साथ मिलकर समाज सेवा की समग्र कार्य योजना बनाना।

- ☞ कार्य योजना की क्रियान्विति हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करना।
- ☞ समाज सेवा सम्बधी सभी प्रकार की आवश्यक बैठकों का आयोजन करवाना।
- ☞ समाज सेवा संबंधित सभी प्रकार के अभिलेखों यथा कार्य योजना, विद्यार्थी दैनिक डायरी, मूल्यांकन प्रपत्र आदि का संधारण करना।
- ☞ विद्यार्थियों का समग्र मूल्यांकन सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर को प्रेषित करने हेतु अभिलेख तैयार करना।
- ☞ संस्था प्रधान के निर्देशों का पालना करना।

7. दलनायक शिक्षक के दायित्व

विद्यार्थियों द्वारा समाज सेवा की क्रियान्विति करने के लिए दलनायक शिक्षक के निम्नलिखित दायित्व होंगे –

- ☞ दल के विद्यार्थियों को समाज सेवा की गतिविधियों का चयन करवा कर प्रभारी शिक्षक को उपलब्ध कराना।
- ☞ दल के प्रत्येक विद्यार्थी से कार्य योजनानुसार समाज सेवा करवाना।
- ☞ दल के प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा सम्पादित कार्यों का परिवीक्षण करना।
- ☞ दल के प्रत्येक विद्यार्थी से दैनिक डायरी संधारित करवाना।
- ☞ दल के प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा प्रति दिन सम्पादित कार्य को उसकी डायरी में अंकित करवा कर हस्ताक्षर करना।
- ☞ दल के प्रत्येक विद्यार्थी से दैनिक डायरी प्राप्त कर प्रभारी शिक्षक को जमा कराना।
- ☞ प्रत्येक विद्यार्थी का समाज सेवा की क्रियान्विति का मूल्यांकन कर 31 जुलाई तक प्रभारी शिक्षक को उपलब्ध कराना।
- ☞ संस्था प्रधान एवं प्रभारी शिक्षक के निर्देशों का पालन करना।

8. विद्यार्थी के दायित्व

विद्यार्थी द्वारा समाज सेवा की क्रियान्विति करने के लिए उसके निम्नलिखित दायित्व होंगे –

- ☞ ग्रीष्मावकाश में दो सप्ताह तक अनिवार्यतः समाज सेवा करना।
- ☞ समाज सेवा की क्रियान्विति हेतु वांछित सामग्री स्वयं द्वारा जुटाना।
- ☞ समाज सेवा की क्रियान्विति के समय पूर्णतः अनुशासन बनाए रखना।
- ☞ प्रति सप्ताह दो गतिविधियों के आधार पर दो सप्ताह के लिए चार गतिविधियों का चयन कर उनकी क्रियान्विति करना।
- ☞ प्रति दिन डायरी संधारण कर किए गए कार्य का संबंधित व्यक्ति, किसी जन प्रतिनिधि/दलनायक शिक्षक से सत्यापन करवाने हेतु हस्ताक्षर करवाना।
- ☞ अपनी डायरी कार्य समाप्ति पर दलनायक शिक्षक को जमा कराना।
- ☞ संस्था प्रधान/प्रभारी शिक्षक/दलनायक शिक्षक के निर्देशों का पालन करना।

9. गतिविधियों का प्रबन्धन

संस्था प्रधान और प्रभारी शिक्षक को उपलब्ध संसाधनों, स्थानीय आवश्यकताओं एवं विद्यार्थियों की रुचि अनुकूल चयनित गतिविधियों को ग्रीष्मावकाश से पूर्व सुनिश्चित करना है तथा इसके लिए समग्र कार्य योजना का निर्माण भी किया जाना है। समाज सेवा का कार्य करने हेतु विद्यालय परिसर अथवा

गाँव / शहर में शिविर भी लगाया जा सकता है। शिविर पर होने वाले व्यय को वहन करने हेतु स्थानीय भामाशाहों को प्रेरित किया जा सकता है अथवा विद्यालय विकास समिति से सहयोग लिया जा सकता है। इसके अलावा विद्यार्थी स्वयं भी अपने स्तर पर खाद्य एवं अन्य वांछित सामग्री जुटायेंगे। कार्य योजना के अनुसार गतिविधियों का संचालन नीचे उल्लेखित कार्यक्रम के अनुसार 17–31 मई तक दो सप्ताह के लिए प्रतिदिन करना है। प्रतिदिन के कार्यक्रम का समय प्रातः 7:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक का रहेगा । प्रत्येक विद्यार्थी अल्पाहार अपने घर से साथ लायेगा।

प्रतिदिन का कार्यक्रम

प्रातः 7:00 से 8:00 बजे तक	प्रार्थना, कार्य स्थल / शिविर की सफाई व्यायाम ।
प्रातः 8:00 से 11:00 बजे तक	गतिविधि का संचालन
प्रातः 11:00 से 11:30 बजे तक	अल्पाहार एवं विश्राम
प्रातः 11:30 से 11:45 बजे तक	समीक्षा
प्रातः 11:45 से 12:00 बजे तक	अगले दिन की कार्य योजना का निर्माण

10. गतिविधियों की क्रियान्विति

विद्यार्थियों से नीचे उल्लेखित में से किन्हीं चार गतिविधियों का प्रभारी शिक्षक के मार्गदर्शन में चयन कर 17–31 मई तक क्रियान्विति अपेक्षित है। प्रत्येक गतिविधि के क्रियान्विति के चरण निम्नानुसार हैं –

10.1 राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सद्भाव –विद्यार्थियों द्वारा नागरिकों में राष्ट्रीय एकता एवं सामुदायिक सद्भाव बढ़ाने हेतु सर्वधर्म प्रार्थना सभा, शान्ति यात्रा, प्रभात फेरी, रैली, प्रदर्शनी, व्याख्यान, संगोष्ठी, परिचर्चा आदि का आयोजन किया जा सकता है।

- ☞ युवाओं द्वारा महापुरुषों के क्रियाकलापों पर चर्चा करवाना।
- ☞ जन प्रतिनिधियों / संभ्रान्त वरिष्ठ नागरिकों द्वारा महापुरुषों की जीवनियों पर प्रकाश डलवाना।
- ☞ महापुरुषों की जीवनियों, प्रेरक प्रसंगों, आदर्श वाक्यों आदि की पोस्टरों द्वारा प्रदर्शनी लगाना।
- ☞ नागरिकों की सहायता से प्रदर्शनी के आधार पर बच्चों के लिये प्रश्नोत्तर कार्यक्रम का आयोजन करना।
- ☞ प्रभात फेरी द्वारा प्रेरक एवं आदर्श वाक्यों का उद्घोष करना एवं चौपाल पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन करना।
- ☞ महापुरुषों पर आधारित विचित्र वेशभूषा प्रतियोगिता का आयोजन करना।
- ☞ स्थानीय / राज्यों की सांस्कृतिक धरोहरों का चित्रों के माध्यम से नागरिकों को परिचय करवाना।

10.2 परिवार कल्याण – विद्यार्थियों द्वारा देश में बढ़ती जनसंख्या की रोकथाम हेतु नागरिकों में परिवार कल्याण योजना का महत्व प्रतिपादित किया जा सकता है। इसके लिए छोटे परिवार और बड़े परिवार के मध्य तुलना कर नागरिकों को समझाया जा सकता है।

- ☞ बढ़ती जनसंख्या के दुष्प्रभावों की जानकारी देना ।
- ☞ सर्वे के माध्यम से छोटे–बड़े परिवारों की जानकारी प्राप्त कर तुलनात्मक अध्ययन करते हुए छोटे परिवार के लाभ एवं बड़े परिवार के दुष्प्रभावों की जानकारी देना।

☞ छोटा परिवार सुखी परिवार के दूरगामी परिणामों से अवगत कराना।
☞ छोटे परिवार के लिये राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं की जानकारी देना ।
☞ स्थानीय नागरिकों के लिये जनसंख्या प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन करना।

10.3 पर्यावरण संवर्द्धन एवं संरक्षण – विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण संवर्द्धन एवं संरक्षण हेतु प्रत्येक नागरिक को सचेत करना है। विद्यार्थी स्वयं वृक्षारोपण कर हरीतिमा को समृद्ध कर सकते हैं। पौधों की रक्षा करने हेतु टी–गार्ड लगाना, वाटिका का निर्माण करना आदि कार्यक्रमों को अपनाया जा सकता है।

☞ नागरिकों को पोस्टर/प्रदर्शनी द्वारा स्वच्छ पर्यावरण के प्रति जागरूक करना।
☞ समाज सेवी संस्थाओं अथवा वन विभाग के सहयोग द्वारा आवश्यक स्थान वृक्षारोपण करना।
☞ रोपित पौधे की देखभाल के लिए टी–गार्ड लगाना।
☞ रोपित पौधों की देखभाल के लिए उन्हें स्थानीय नागरिकों के सुपुर्द करना।
☞ स्वच्छता अभियान चलाना जिसके अन्तर्गत गड्ढ़ों को भरना, गंदे पानी को इकट्ठा नहीं होने देना, स्थानीय नागरिक/जन प्रतिनिधि के सहयोग से गंदे पानी के निकास की व्यवस्था करना, पोलिथिन के उपयोग से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी से अवगत कराना आदि।
☞ लकड़ी के चूल्हे के स्थान पर गोबर गैस, सोलर चूल्हे की उपयोगिता की जानकारी देना।
☞ स्थानीय इको–क्लब का वृक्षारोपण में सहयोग प्राप्त करना।

10.4 साक्षरता के प्रति जाग्रति – विद्यार्थियों द्वारा 6–14 वर्ष और 15–35 वर्ष के व्यक्तियों को साक्षर किया जा सकता है। शिक्षा के संबंध में नागरिकों में नुक्कड़ नाटकों, लोक गीतों, समूह गीतों, रैली, प्रभात फेरी के माध्यम से जाग्रति पैदा की जा सकती है।

☞ सर्वे कर निरक्षरों का पता लगाना।
☞ नागरिकों को साक्षरता के प्रति जागरूक करना।
☞ सरकार की साक्षरता से संबंधित विभिन्न योजनाओं की जानकारी नुक्कड़ नाटक, रैली, लोक गीतों द्वारा उपलब्ध कराना।
☞ निरक्षरों को अनौपचारिक शिक्षा की जानकारी देना।
☞ निरक्षरों को घर–घर जाकर अथवा एकत्रित कर पढ़ाना।

10.5 मतदान के प्रति संचेतना – विद्यार्थियों द्वारा नागरिकों को मत का महत्व समझाते हुए उन्हें भविष्य में हर प्रकार के लोभ और भय को त्यागकर अनिवार्यतः मतदान में भाग लेने और सच्चे जन प्रतिनिधियों को मत देने हेतु प्रेरित किया जा सकता है।

☞ सर्वे कर मतदान के योग्य व्यक्तियों की जानकारी प्राप्त करना।
☞ व्यक्तियों को एकत्रित कर उन्हें मत के महत्व की जानकारी देना।

10.6 कानूनी साक्षरता – विद्यार्थियों द्वारा नागरिकों को यह बताना है कि आवश्यकता पड़ने पर वे कानून से कैसे सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

☞ प्रश्नोत्तर प्रपत्र द्वारा सर्वे कर नागरिकों के कानूनी ज्ञान की जानकारी प्राप्त करना।
☞ विधि विभाग से विधिक साक्षरता व्याख्यान अथवा गोष्ठी का आयोजन करवाना।
☞ दैनिक जीवन में होने वाले कार्यों से संबंधित कानूनों की जानकारी उपलब्ध कराना ।

10.7 उपभोक्ता संरक्षण – विद्यार्थियों द्वारा नागरिकों को सामान के क्रय–विक्रय अथवा सेवा पाने के समय जागरूक रहने और आवश्यकता पड़ने पर उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1986 का उपयोग करना सिखाया जा सकता है।

☞ उपभोक्ता संबंधी जानकारी स्थानीय नागरिकों को देना।
☞ विधि विभाग के सहयोग से उपभोक्ता कानून की जानकारी उपलब्ध करवाना।
☞ उपभोक्ता संरक्षण नियम 1986 का उपयोग "नुक्कड़ नाटक" का प्रदर्शन कर सिखाना।

10.8 अल्प बचत – विद्यार्थियों द्वारा अल्प बचत का महत्व बताते हुए नागरिकों में बचत करने की आदत विकसित की जा सकती है। इसके लिए विद्यार्थियों को बैंकों और पोस्ट ऑफिस की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी उन्हें उपलब्ध करानी होगी ।

☞ बचत की आवश्यकता के बारे में जानकारी देना।
☞ बचत खाता खोलने के लिये वित्त संस्थाओं की जानकारी उपलब्ध कराना।
☞ विभिन्न बैंकों द्वारा संचालित अल्प बचत योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना।
☞ नागरिकों के बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में बचत खाते खुलवाना।

10.9 सरकारी योजनाओं की जानकारी – विद्यार्थियों द्वारा नागरिकों को केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा संचालित जन–हितकारी योजनाओं से अवगत कराया जा सकता है। इसके लिए वे पोस्टर, पैमफ्लेट आदि उपयोग में ले सकते हैं। ये योजनाएं विशेषतौर से कृषि, तकनीकी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, भवन निर्माण आदि से संबंधित हो सकती हैं।

☞ कृषि, तकनीकी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, भवन निर्माण संबंधित सरकारी योजनाओं की जानकारी संबंधित विभाग से प्राप्त करना।
☞ सरकारी योजनाओं से प्राप्त जानकारी के आधार पर पोस्टर, चार्ट एवं स्लोगन तैयार करना।
☞ पोस्टर, चार्ट एवं स्लोगन का चयनित स्थल पर प्रदर्शन करना।
☞ सरकारी योजनाओं की जानकारी रैली निकाल कर जन–जन तक पहुंचाना।

10.10 प्राथमिक उपचार का ज्ञान – विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न बीमारियों संबंधी प्राथमिक उपचार की जानकारी नागरिकों को दी जा सकती है। इसमें मौसमी बीमारियों को प्राथमिकता देना अपेक्षित है।

☞ प्राथमिक उपचार पेटी तैयार करना।
☞ नागरिकों को प्राथमिक उपचार की प्रायोगिक जानकारी कराना।

10.11 यातायात नियम – विद्यार्थियों द्वारा नागरिकों को सभी प्रकार के यातायात नियमों और चिह्नों का ज्ञान देना है ताकि वे भविष्य में किसी प्रकार की दुर्घटना से बच सकें।

☞ यातायात के नियमों की पोस्टर प्रदर्शन द्वारा जानकारी देना।
☞ यातायात चिह्नों की जानकारी देना।
☞ सर्वे द्वारा स्थानीय नागरिकों के ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी प्राप्त करना।
☞ समाज सेवी संस्थाओं के सहयोग से ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए कैम्प लगाना।

10.12 प्राकृतिक आपदाओं में सावधानियाँ – विद्यार्थियों द्वारा नागरिकों को विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं यथा अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि, भूकम्प, महामारी, भूस्खलन आदि के समय क्या–क्या सावधानियां बरती जा सकती हैं का ज्ञान कराया जा सकता है।

☞ प्राकृतिक आपदाओं के कारणों एवं विनाशकारी प्रभावों की जानकारी रैली द्वारा स्थानीय नागरिकों को देना।
☞ प्राकृतिक आपदाओं से बचने के उपायों तथा नियंत्रण की जानकारी व्याख्यान एवं पोस्टर द्वारा देना।

☞ वृक्षों की कटाई एवं भवनों के पास खनन कार्य को रोकने की कार्यवाही स्थानीय प्रशासन के सहयोग से करना।

10.13 ऋण की उपलब्धता – विद्यार्थियों द्वारा रोजगार अथवा घरेलू कार्य हेतु नागरिकों को तमाम ऋण योजनाओं से अवगत कराते हुए ऋण उपलब्ध कराये जा सकते हैं।

☞ बैंकों द्वारा दिये जा रहे ऋण की जानकारी उपलब्ध कराना।

☞ ऋण उपलब्ध कराने के लिये संबंधित फर्म, बैंक अथवा प्रशासनिक अधिकारी से सहयोग दिलवाना।

☞ ऋण प्राप्ति हेतु फार्म भरकर ऋण दिलवाना ।

10.14 अन्धविश्वासों का उन्मूलन – विद्यार्थियों द्वारा गांव/शहर में प्रचलित अंधविश्वासों यथा रात्रि के समय झाड़ू न लगाना बिल्ली के रास्ता काटने पर आगे नहीं बढ़ना, छींक आ जाने पर घर से नहीं निकलना, बीमार होने पर जादू–टोना करवाना आदि को दूर किया जाकर नागरिकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है।

☞ नागरिकों में व्याप्त अंधविश्वासों के बारे में विचार जानना।

☞ अंधविश्वासों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गलत सिद्ध करना।

10.15 सामाजिक बुराइयों का निवारण – विद्यार्थियों द्वारा गाँव/शहर में प्रचलित यथा दहेज प्रथा, बाल विवाह, मद्यपान, मृत्युभोज, छुआछूत, जातिप्रथा, सतीप्रथा, कन्यावध, भ्रूण हत्या, नारी शिक्षा का अभाव जैसी सामाजिक बुराइयों के अवगुणों का बखान कर इनसे दूर रहने की नागरिकों को सलाह दी जा सकती है।

☞ सामाजिक बुराइयों की हानि से अवगत कराना।

☞ सामाजिक बुराइयों से संबंधित समाचारों का संकलन कर प्रदर्शित करना।

☞ सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन सम्बन्धी कानून की जानकारी कराना।

☞ नुक्कड़ नाटक द्वारा सामाजिक बुराइयों की रोकथाम से अवगत कराना।

10.16 बुक बैंक की स्थापना – राज्य सरकार द्वारा कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करवायी जाती हैं। अतः विद्यार्थियों से इन पाठ्यपुस्तकों को प्राप्त कर बुक बैंक में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

☞ विद्यालय में बुक बैंक की स्थापना करवाना।

☞ बुक बैंक के लिये पाठ्यपुस्तक देने वाले विद्यार्थियों के नाम, विषय एवं कक्षा की सूची तैयार करना।

☞ विद्यार्थियों द्वारा सूची अनुसार पाठ्य पुस्तकें एकत्रित करना।

☞ विद्यार्थियों द्वारा सूची अनुसार बुक बैंक में उपलब्ध पुस्तकों का वितरण करना।

10.17 वाचनालय की व्यवस्था – विद्यार्थियों द्वारा वर्तमान में हो रहे ज्ञान के विस्फोट की नागरिकों को जानकारी कराने हेतु वाचनालय की व्यवस्था की जा सकती है। इसके लिए विद्यालय में आने वाली पत्र–पत्रिकाएं प्राप्त की जा सकती हैं। नागरिकों की कुछ आर्थिक मदद से भी विभिन्न पत्र–पत्रिकाएँ मंगवायी जा सकती हैं।

☞ नागरिकों के सहयोग से वाचनालय के लिए स्थान का चयन करना।

☞ विद्यालय पुस्तकालय से पुरानी पत्र–पत्रिकाएं एकत्रित करना।

☞ दानदाताओं द्वारा पत्र–पत्रिकाओं के लिए आर्थिक मदद मांगना।

☞ वाचनालय का समय निर्धारित कर संचालन करना।

10.18 चल पुस्तकालय का संचालन – विद्यार्थियों द्वारा अच्छी–अच्छी पुस्तकों का वाचन कर नागरिकों को नैतिक बातें बताने हेतु साइकिल पर चल पुस्तकालय का संचालन किया जा सकता है। इसके लिए विद्यालय पुस्तकालय से पुस्तकें प्राप्त की जा सकती हैं।

☞ चल पुस्तकालय की व्यवस्था करना।
☞ चल पुस्तकालय में विभिन्न आयामों की पुस्तकें रखना।
☞ चल पुस्तकालय का संचालन कर नागरिकों को पुस्तकें वितरित करना।

10.19 विद्यालय भवन का सौंदर्यीकरण – विद्यार्थियों द्वारा स्थानीय विद्यालय यथा राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक के भवन का सौंदर्यकरण किया जा सकता है। इसके लिए बजट विद्यालय विकास समिति/जनसहयोग से जुटाया जाये।

☞ विद्यालय के विशेष स्थान जैसे पुस्तकालय, कक्षा–कक्ष, खेल मैदान, बगीचा, पीने के पानी का स्थान/टंकियों आदि का चयन करना।
☞ चयनित स्थान की स्वच्छता के लिए कार्यवाही करना।
☞ फर्नीचर को साफ कर उन पर विद्यालय का नाम एवं क्रमांक अंकित करना।
☞ बिजली के पंखों की सफाई करना।
☞ कक्षा–कक्ष में नीचे की दीवारों पर पुताई करना।
☞ पीने के पानी की टंकियों को खाली कर साफ करना।
☞ पीने के पानी के स्थान को साफ रखने हेतु पानी के निकास की नाली, जो किसी पौधे या खुले स्थान पर खुलती हो, बनाना।
☞ बगीचे की गुढ़ाई करना, खर पतवार को निकालना और पानी देना।

10.20 सार्वजनिक स्थल की सफाई – विद्यार्थियों द्वारा स्थानीय सार्वजनिक स्थल यथा पनघट, मंदिर, धर्मशाला, मस्जिद, बस स्टेण्ड, अस्पताल आदि की सफाई की जा सकती है। गंदे पानी के गड्ढ़ों में फिनाइल एवं केरोसिन और कुओं/तालाबों/बावड़ी में लाल दवा भी छिड़क सकते हैं।

☞ स्थानीय सार्वजनिक स्थल का सफाई व्यवस्था हेतु चयन करना।
☞ सफाई व्यवस्था के लिए आवश्यकतानुसार संसाधन जुटाना।
☞ संसाधनों द्वारा स्थल की धार्मिक आस्था को बरकरार रखते हुए सफाई करना।
☞ सार्वजनिक स्थल के पास गंदे पानी के गड्ढ़ों को भरवाना, एकत्रित पानी पर केरोसिन और कुओं/तालाबों/बावड़ी में लाल दवा का छिड़काव करना।

10.21 सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण – विद्यार्थियों द्वारा गांव/शहर में स्थापित सांस्कृतिक धरोहरों यथा मंदिर, मस्जिद, छतरी, झीलों, तालाबों का संरक्षण किया जा सकता है।

☞ स्थानीय भ्रमण कर सांस्कृतिक स्थलों की जानकारी प्राप्त करना।
☞ चयनित धरोहरों की सफाई व्यवस्था करना।
☞ धरोहरों में जनसहयोग द्वारा आवश्यक सुधार करना।

10.22 विकासात्मक कार्य – विद्यार्थियों द्वारा गाँव/शहर में विकास के कई कार्यों यथा रास्ते ठीक करना, सड़क की मरम्मत करना, लिंक रोड का निर्माण करना, खाद के गड्ढ़े बनाना आदि बिना धन के भी सम्पादित किये जा सकते हैं। इसके लिए उन्हें मात्र श्रमदान करना है।

☞ आम रास्ते दुरुस्त करना।
☞ सड़कों के गड्ढ़ों को भरना।

- सड़क पर जैबरा लाइनों को ठीक करना।
- कच्ची सड़क का निर्माण करना।
- तालाब, बावड़ियों एवं झीलों की सफाई करना।
- गड़्ढे तैयार कर बगीचों के लिए खाद बनाना।
- सार्वजनिक स्थल पर लिखे दिशानिर्देशों को ठीक करना।

10.23 बीमारों की सेवा–सुश्रूषा – विद्यार्थियों द्वारा घर पर निवास करने वाले अथवा अस्पताल में भर्ती बीमारों की सेवा–सुश्रूषा की जा सकती है। इसके लिए वे उन्हें समयानुसार दवाइयां दे सकते हैं पुरानी पत्र–पत्रिकाएं उपलब्ध कर दे सकते हैं। वार्ताओं द्वारा मनोरंजन करा सकते हैं, बच्चों को खिलौने उपलब्ध करा सकते हैं आदि। इसके अलावा कम्पाउन्डर/नर्सों का भी सहयोग किया जा सकता है।

- वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम, चिकित्सालय आदि में से स्थान का चयन करना।
- बुजुर्गों अथवा असहाय व्यक्तियों की जानकारी ज्ञात करना।
- समाज सेवी संस्थाओं द्वारा सम्पर्क कर आवश्यक दवाइयां, खाद्य पदार्थ आदि वितरित करना।
- पत्र–पत्रिकाएँ पढ़ने हेतु उपलब्ध कराना ।
- पत्र–पत्रिकाओं में से समाचार, कहानियाँ, कविताएँ आदि सुनाना।
- ज्ञान की बातें बता कर मन बहलाना।

10.24 लाचार व्यक्तियों की सेवा – विद्यार्थियों द्वारा गाँव/शहर में रहने वाले अपाहिज, अन्धे, बूढ़े जैसे लाचार व्यक्तियों की दैनिक सेवा की जा सकती है ताकि उनमें सुरक्षा, संतोष एवं आत्मविश्वास का भाव बना रह सके।

- सर्वे कर लाचार व्यक्तियों की जानकारी प्राप्त करना।
- लाचार व्यक्तियों की आवश्यकतानुसार दैनिक सेवा करना।

10.25 निरक्षरों के पत्र पढ़ना–लिखना – विद्यार्थियों द्वारा गांव/शहर में निरक्षर व्यक्तियों के आने वाले पत्रों को पढ़कर सुनाया जा सकता है और जाने वाले पत्रों को लिखकर डाक में डाला जा सकता है, परन्तु विद्यार्थियों से यह अपेक्षित है कि उनके समाचार अन्य किसी व्यक्ति को न बताये जायें।

- पत्रों को पढ़कर सुनाना ।
- पत्रों के जवाब लिखना।
- पत्रों को डाक में डालना।
- पत्रों के समाचारों को पूर्णतः गोपनीय रखना।

10.26 सार्वजनिक स्थल पर जल सेवा – विद्यार्थियों द्वारा स्थानीय सार्वजनिक स्थलों यथा बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन, अस्पताल आदि पर प्याऊ लगाकर जल सेवा की जा सकती है। इसके अलावा पक्षियों के लिए भी जगह–जगह पानी के छींके लटकाये जा सकते हैं। इस हेतु आवश्यक सामग्री की मदद नागरिकों से प्राप्त की जा सकती है।

- बस स्टैण्ड, अस्पताल आवश्यक स्थान पर स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग द्वारा प्याऊ लगाकर जल सेवा करना।
- रेल्वे स्टेशन/बस स्टैण्ड पर यात्रियों को जल उपलब्ध कराना ।
- पक्षियों के लिए पानी के छींके लटकाना।

10.27 समारोह–उत्सव में सहयोग – विद्यार्थियों द्वारा गांव/शहर में आयोजित समारोह–उत्सव यथा मेला, विवाह, प्रवचन आदि के समय संयोजकों का सहयोग किया जा सकता है।

- ☞ समारोह स्थल की सफाई करना।
- ☞ उपस्थित व्यक्तियों को स्थान उपलब्ध कराना।
- ☞ उपस्थित जनसमुदाय की जल सेवा कराना।

10.28 क्रीड़ा केन्द्र का संचालन – विद्यार्थियों द्वारा नागरिकों के लिए गाँव/शहर में प्रचलित खेलकूदों का आयोजन करवाया जा सकता है। कुछ खेलकूद ऐसे होते हैं जिनमें धन की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें प्राथमिकता दी जा सकती है। वर्तमान में योग के प्रति बड़ा रुझान है, अतः योग भी सिखाया जाना अपेक्षित है। इस हेतु क्रीड़ा केन्द्र संचालित किया जा सकता है।

- ☞ क्रीड़ा केन्द्र संचालन हेतु स्थान का चयन करना।
- ☞ जनसहयोग द्वारा खेलानुसार मैदान की व्यवस्था करना।
- ☞ खेल नियमों की जानकारी देना।
- ☞ खेल अभ्यास नियमित कराना।
- ☞ अंतिम दिवस प्रतियोगिता का आयोजन कर विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत करना।

10.29 वस्तुओं का निर्माण – विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न अनुपयोगी वस्तुओं से उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करना नागरिकों को सिखाया जा सकता है जिससे वे अपना घर सजा सकते हैं अथवा रोजगार प्राप्त कर सकते हैं।

- ☞ अनुपयोगी वस्तुओं द्वारा उपयोगी वस्तुओं के निर्माण की जानकारी प्राप्त करना।
- ☞ वस्तुओं के निर्माण की जानकारी प्रायोगिक रूप से देना/करवाना।
- ☞ नागरिकों से अनुपयोगी वस्तुएं एकत्रित करवा कर उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करवाना।
- ☞ निर्मित वस्तुओं को बिना लाभ–हानि के विक्रय करना।

10.30 सर्वेक्षण का कार्य – विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण यथा जनसंख्या साक्षर एवं निरक्षर, विद्यालय परित्याग करने वाले छात्र/छात्रा, कुटीर उद्योग, घरेलू उद्योग, कृषि उपज, पोलियो के टीके लगे शिशु, बेरोजगार आदि सम्पादित किये जा सकते हैं, ताकि राज्य सरकार द्वारा इन तथ्यों को जनसेवा कार्यों के उपयोग में लिया जा सकता है।

- ☞ सर्वेक्षण कार्य हेतु वांछित प्रपत्र अथवा रजिस्टर तैयार करना।
- ☞ वांछित प्रपत्र अथवा रजिस्टर अनुसार प्रत्येक घर का सर्वेक्षण करना।
- ☞ सर्वेक्षण से उपलब्ध जानकारी को संबंधित विभाग को उपलब्ध कराना।

11. मूल्यांकन

प्रत्येक विद्यार्थी का समाज सेवा योजना संबंधी मूल्यांकन उसके दलनायक शिक्षक द्वारा ही किया जायेगा। मूल्यांकन का आधार विद्यार्थी द्वारा गतिविधियों की क्रियान्विति और विद्यार्थी द्वारा संधारित दैनिक डायरी का अवलोकन होगा। "मूल्यांकन निर्धारण मापनी विधि" (रेटिंग स्केल मैथड) द्वारा निम्नानुसार करना है –

1. **प्रत्येक गतिविधि के अग्रांकित मानदण्ड होंगे** – (i) आयोजना (ii) प्रबंधन (iii) क्रियान्विति, (iv) निष्पादन एवं (v) गुणवत्ता। प्रत्येक मानदण्ड के मूल्यांकन हेतु 5 अंक निर्धारित किये गये हैं। प्रत्येक मानदण्ड के लिए कार्यस्तर अनुसार अंक प्रदान करने होंगे। इस प्रकार से प्रत्येक गतिविधि का मूल्यांकन 25 अंकों में से होगा।

2. प्रत्येक विद्यार्थी की कुल चार गतिविधियों के मूल्यांकन हेतु कुल पूर्णांक 100 होंगे।

3. प्रत्येक विद्यार्थी को 100 में से प्राप्ताकों के आधार पर निम्नानुसार ग्रेड प्रदान करनी होगी।

उपलब्धि	सम्प्राप्ति स्तर	ग्रेड
80 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक	उत्कृष्ट	ए
60 प्रतिशत से 79 प्रतिशत तक	उत्तम	बी
50 प्रतिशत से 59 प्रतिशत तक	अच्छा	सी
50 प्रतिशत से नीचे	सामान्य	डी

4. दलनायक शिक्षक द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी का परिशिष्ट–1 के अनुसार 'समाज सेवा योजना मूल्यांकन प्रपत्र' तैयार करना होगा।

12. अंकतालिका / प्रमाण–पत्र

संस्था प्रधान सत्रांक के साथ प्रत्येक विद्यार्थी की समाज सेवा योजना की ग्रेड सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर को प्रेषित करेंगे जिसका उल्लेख बोर्ड द्वारा प्रदत्त उच्च माध्यमिक परीक्षा की अंकतालिका/प्रमाण–पत्र में किया जायेगा। राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) से जुड़े विद्यार्थियों के लिये राष्ट्रीय सेवा योजना में भाग लिया का उल्लेख किया जायेगा।

13. उपसंहार

सच्ची शिक्षा वही है जो विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करने हेतु सतत् प्रयत्नशील रहे और ऐसी गतिविधियों का कुशलतापूर्वक संचालन करे जो उन्हें समर्पण बोध से सराबोर कर सके, मनसा–वाचा–कर्मणा से स्वस्थ बना सके और उनमें सेवा भावना जाग्रत कर सके। वैसे भी दूसरों की सेवा करना सर्वश्रेष्ठ मानवीय धर्म माना गया है। तुलसीदासजी ने भी यही संदेश दिया है, "परहित सरिस धर्म नहीं भाई" । इस प्रकार से कक्षा ग्यारह उत्तीर्ण विद्यार्थियों का ग्रीष्मावकाश में समाज सेवा की गतिविधियों से अन्तःस्थल से जुड़ना अपेक्षित है।

प्रेषिति

1. समस्त उपनिदेशक माध्यमिक / जि.शि.अ.माध्यमिक राजस्थान
2. समस्त प्रधानाचार्य
   राजकीय / गैर राजकीय
   उ.मा.वि. राजस्थान

विषय :– कक्षा–11 उत्तीर्ण छात्रों हेतु आयोजित समाज सेवा शिविर के प्रभावी संचालन के क्रम में।

प्रसंगः– प्रमुख शासन सचिव शिक्षा प.17(6) शिक्षा–1 / 2012 जयपुर दिनांक 02.01.13

माध्यमिक शिक्षा विभाग ने उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा–11 उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए ग्रीष्मावकाश में 17 मई से 31 मई तक दो सप्ताह के समाज सेवा शिविर का आयोजन इस उद्देश्य से अनिवार्य किया था, कि इस के माध्यम से विद्यार्थी अपने व्यक्तित्व का सम्पूर्ण विकास करते हुए सामाजिक चेतना जाग्रत कर सकेंगे और व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करते हुए स्थानीय नागरिकों के साथ मिलकर समाज हित में सृजनात्मक एवं रचनात्मक कार्य कर सकेंगे। एन.एस.एस. प्रवृत्ति में भाग लेने वाले विद्यार्थी समाज सेवा शिविर से मुक्त रखे जाएें।

वर्तमान में विद्यालयों द्वारा समाज सेवा शिविरों का प्रभावी आयोजन / संचालन नहीं करने से अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो रही हैं। विद्यालयों में समाज सेवा शिविर औपचारिकता मात्र बन कर रह गये है, इसे राज्य सरकार ने अत्यन्त गम्भीरता से लिया है। प्रमुख शासन सचिव स्कूल शिक्षा राजस्थान ने प्रासंगिक पत्र द्वारा शिविर के प्रभावी संचालन हेतु विशेष दिशा निर्देश प्रदान किये हैं और सभी राजकीय व गैर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों से सत्र 2013–14 से अधोलिखित निर्देशों की अनुपालना अपेक्षित की है।

(I) समाज सेवा शिविर की पूर्व तैयारी :–

1. प्रत्येक विद्यालय में माह फरवरी के प्रथम सप्ताह में समाज सेवा शिविर की कार्य योजना (प्रोजेक्ट) तैयार करने हेतु प्रधानाचार्य द्वारा शिक्षकों की एक बैठक आयोजित कर निम्नानुसार कार्यवाही की जाए :–

(अ) समाज सेवा शिविर स्थल का चयन।

(ब) शिविरार्थियों हेतु स्थानीय आवश्यकता के आधार पर चार गतिविधियों का चयन। (बोर्ड विवरणिका कक्षा–11 समाज सेवा शिविर में उल्लेखित 30 गतिविधियों में से भी चयन किया जा सकता है)

(स) एक सुयोग्य व्याख्याता को समाज सेवा शिविर प्रभारी के रूप में नामित करना।

(द) कक्षा–11 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को 50–50 के समूह / दल में विभक्त कर प्रत्येक दल को एक प्रेरणास्पद नाम प्रदान करना।

(च) प्रत्येक दल से एक सुयोग्य विद्यार्थी का चयन कर उसे दलनायक बनाना। इसी प्रकार एक अन्य विद्यार्थी को सह दलनायक नामित करना।

(छ) प्रत्येक दल हेतु एक योग्य शिक्षक को दल प्रभारी बनाना।

(ज) किसी योग्य दलनायक विद्यार्थी को आवश्यकतानुसार दल प्रभारी शिक्षक का कार्य भी दिया जा सकता है।

(झ) समाज सेवा शिविर का एक प्रभावी प्रोजेक्ट माह फरवरी के द्वितीय सप्ताह तक अनिवार्यतः तैयार कर लिया जाए। यह प्रोजेक्ट द्वितीय सत्रान्त में संस्था प्रधान द्वारा वाक्पीठ संगोष्ठी में जिला शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी को जमा कराना अनिवार्य होगा।

(II) समाज सेवा शिविर अवधि के कार्य :-

1. प्रत्येक विद्यालय में दो सप्ताह का समाज सेवा शिविर दिनांक 17 मई से 31 मई तक विद्यालयों में आयोजित किया जाएगा जिसमें कक्षा-11 उत्तीर्ण प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा भाग लेना अनिवार्य होगा। यह शिविर बोर्ड विवरणिका कक्षा-12 के निर्देशों के अनुरूप संचालित होगा। एन.एस.एस. प्रवृत्ति में भाग लेने वाले विद्यार्थी समाज सेवा शिविर से मुक्त रखे जाए।
2. उक्त शिविर के प्रथम सप्ताह (17 मई से 23 मई तक) में दो चयनित गतिविधियों पर एवं द्वितीय सप्ताह (24 मई से 31 मई तक) में शेष दो चयनित गतिविधियों पर प्रत्येक विद्यार्थी प्रतिदिन प्रातः 7.30 से 11.30 बजे तक कार्य करेगा।
3. शिविर में प्रतिदिन 11.30 से 11.45 बजे तक शिविर कार्य की समीक्षा कर शिविर को पूर्ण सफल व प्रभावी बनाने हेतु निर्णय लिए जाए।
4. शिविर में प्रतिदिन 11.45 से 12.00 बजे तक उक्त समीक्षा के आधार पर आगामी दिवस की कार्य योजना बना कर उससे दलप्रभारी शिक्षक तथा दलनायक को अवगत कराया जाए।
5. विद्यार्थी प्रतिदिन 11.30 बजे से 12.00 बजे तक स्वयं के दैनिक कार्य/घटनाएं/अनुभव को शिविर दैनिक डायरी में संधारित करेगा।
6. दलनायक प्रतिदिन 12.00 बजे अपने दल के सभी विद्यार्थियों की दैनिक डायरी एकत्रित कर इन्हें अपने दल प्रभारी शिक्षक को सौंपेगा।
7. दल प्रभारी शिक्षक इनका अवलोकन कर अपेक्षित दिशा निर्देश प्रदान करेगें तथा डायरी में यथा स्थान हस्ताक्षर करेंगें।
8. शिविर में अल्पाहार/भोजन विद्यार्थी अपने घर से साथ लाऐं। शिविर के अन्य व्यय जनसहयोग/विद्यार्थी विकास कोष /छात्रनिधि से किये जाए।
9. 23 मई को दल प्रभारी शिक्षक विद्यार्थियों की प्रथम सप्ताह की दो गतिविधियों का निरीक्षण कर निर्धारित विद्यार्थी मूल्यांकन प्रपत्र परिशिष्ट-1 में प्रत्येक विद्यार्थी के प्राप्तांक व ग्रेड अंकित करें। तत्पश्चात् 24 मई से 31 मई तक विद्यार्थी शेष दो गतिविधियों पर कार्य करेंगे। जिनका मूल्यांकन 31 मई को दल प्रभारी शिक्षक द्वारा किया जाएगा तथा विद्यार्थी को प्रत्येक गतिविधि में प्राप्त अंकों के आधार पर ग्रेड प्रदान की जाएगी।
10. शिविर परिवीक्षण :-

(अ) प्रधानाचार्य नियमित रूप से शिविर का परिवीक्षण कर निर्धारित परिवीक्षण प्रपत्र परिशिष्ट-2 की पूर्तियां करेंगे और अपेक्षित दिशा निर्देश प्रदान करेंगे।

(ब) उप निदेशक माध्यमिक तथा जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक दिनांक 17 मई से 31 मई तक प्रतिदिन पांच–पांच विद्यालयों में जाकर समाज सेवा शिविर का परिवीक्षण कर अपेक्षित दिशा निर्देश प्रदान करेंगे तथा परिवीक्षण प्रपत्र परिशिष्ठ–2 भरेंगे। ये परिवीक्षण प्रपत्र 10 जून तक निदेशक/उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच जाने चाहिए।

(III) शिविर समाप्ति पर कार्य :–

1. प्रधानाचार्य समाज सेवा शिविर प्रभारी व्याख्याता से निम्नांकित दस्तावेज प्राप्त करेंगे।

(अ) समाज सेवा शिविर का प्रोजेक्ट।

(ब) प्रत्येक विद्यार्थी की दैनिक डायरी।

(स) प्रत्येक विद्यार्थी का मूल्यांकन प्रपत्र।

(द) सभी विद्यार्थियों की प्राप्तांक व ग्रेड तालिका।

(च) शिविर प्रतिवेदन (निर्धारित प्रारूप परिशिष्ठ–3)।

2. प्रधानाचार्य अपने विद्यालय की समाज सेवा योजना का प्रोजेक्ट 10 जून तक जिला शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी कार्यालय में जमा कराऐंगे।

3. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्राप्त समाज सेवा शिविर प्रोजेक्ट में से सर्वश्रेष्ठ तीन प्रोजेक्ट्स के चयन हेतु त्रिसदस्यीय समिति गठित करेंगे। जिला शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी इस समिति का पदेन संयोजक तथा प्रधानाचार्य स्तर के दो शिक्षा अधिकारी इसके सदस्य होंगे। समिति प्रोजेक्ट्स तथा परिवीक्षण प्रपत्रों के आधार पर श्रेष्ठता क्रमांक प्रदान करेगी। जिला स्तरीय श्रेष्ठता के आधार पर प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय प्रोजेक्ट का चयन किया जाएगा। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर एक से अधिक प्रतिभागी आने की स्थिति में भाग्य विधि (लॉटरी) से निर्णय कर एक स्थान के लिए एक ही प्रतिभागी का चयन किया जाए। एक स्थान के लिए दो प्रोजेक्ट्स का चयन निरस्तनीय होगा।

4. प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) अपने जिले के श्रेष्ठ प्रथम, द्वितीय, व तृतीय वरियता प्राप्त प्रोजेक्ट की सूची निदेशक (शैक्षिक) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर कार्यालय को 30 जून तक अनिवार्यतः प्रेषित करेंगे।

5. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रत्येक जिले के इन तीन श्रेष्ठ प्रोजेक्ट्स हेतु प्रथम पुरस्कार के रूप में ₹ 2000/–, द्वितीय पुरस्कार हेतु ₹ 1500/– तथा तृतीय पुरस्कार हेतु ₹ 1000/– का चैक प्रत्येक जिले के संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) को मय प्रमाण पत्र के 31 जुलाई तक प्रेषित कर देंगे। प्रभारी शिक्षक हेतु प्रशंसा प्रमाण पत्र भी प्रेषित किया जायेगा।

6. 15 अगस्त के समारोह में उक्त पुरस्कारों के चैक मय प्रमाण–पत्र सम्बंधित विद्यालय के संस्था प्रधान को वितरित कराये जाने की व्यवस्था की जाए।

7. उक्त प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार प्राप्त विद्यालय के समाज सेवा योजना प्रभारी व्याख्याता को भी एक प्रशंसा पत्र इस समारोह में प्रदान कराया जाए।

8. विद्यार्थी द्वारा समाज सेवा शिविर में अर्जित ग्रेड का अंकन उसके उच्च माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र में बोर्ड द्वारा यथा स्थान कराया जाऐगा। इस हेतु प्रधानाचार्य विद्यार्थियों द्वारा अर्जित ग्रेड को कक्षा–12 के सत्रांक भिजवाने के साथ अनिवार्यतः माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

संलग्न परिशिष्ठ :–

1. समाज सेवा योजना मूल्यांकन प्रपत्र
2. समाज सेवा शिविर परिवीक्षण प्रपत्र
3. समाज सेवा शिविर प्रतिवेदन

परिशिष्ट–1

(विद्यालय का नाम)

समाज सेवा योजना मूल्यांकन प्रपत्र

सत्र 201 – 201

(17.05.201 – 31.05.201)

1. विद्यार्थी का नाम : ______________________
2. कक्षा : ______________________
3. जन्म तिथि : ______________________
4. माता का नाम : ______________________
5. पिता का नाम : ______________________
6. विद्यार्थी का प्रवेशांक : ______________________
7. मूल्यांकन के आधार पर प्राप्तांक –

क्रम	समाज सेवा गतिविधि का नाम	पूर्णांक	मूल्यांकन का मानदण्ड					प्राप्तांक
			आयोजना पूर्णांक 5	प्रबंधन पूर्णांक 5	क्रियान्विति पूर्णांक 5	निष्पादन पूर्णांक 5	गुणवत्ता पूर्णांक 5	
1		25						
2		25						
3		25						
4		25						
						100 में से कुल प्राप्तांक		

8. मूल्यांकन के आधार पर ग्रेड ______________________

दलनायक शिक्षक के हस्ताक्षर प्रभारी शिक्षक के हस्ताक्षर संस्था प्रधान के हस्ताक्षर

परिशिष्ट – 3

समाज सेवा योजना शिविर प्रतिवेदन

सत्र 201 – 201

(17.05.201 – 31.05.201)

1. नाम विद्यालय ....

दूरभाष नं. ....

2. नाम संस्था प्रधान .... मो. नं. ....

3. नाम शिविर प्रभारी ....मो. नं. ....

4. कक्षा–11 के कुल विद्यार्थी ....शिविर में पंजीकृत विद्यार्थी ....

क्र.सं.	दल/समूह का नाम	कुल पंजीकृत विद्यार्थी	नाम दलनायक	नाम सह दलनायक	नाम दलनायक शिक्षक
1					
2					
3					
4					

5. शिविर के कार्यस्थल का विवरण ....

6. शिविर हेतु चयनित चार गतिविधियों का विवरण ....

   1. ....
   2. ....
   3. ....
   4. ....

7. शिविर के परिवीक्षणकर्ताओं का विवरण :–

क्र.सं.	नाम परिवीक्षणकर्ता	पद	दिनांक	समय
1.				
2.				
3.				
4.				

8. शिविर गतिविधियों में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त ग्रेड का विवरण :–

कुल पंजीकृत विद्यार्थी	गतिविधियों में प्राप्त विभिन्न ग्रेड संख्या का विवरण	वि.वि.
	A B C D	

9. शिविर की विशेषता यदि कोई हो तो ....

10. शिविर की कमी यदि कोई हो तो ....

11. शिविर की कोई समस्या यदि हो तो ....

12. शिविर हेतु सुझाव ....

13. इस शिविर प्रतिवेदन के साथ में (i) शिविर प्रोजेक्ट (ii) विद्यार्थी ग्रेड सूची संलग्न करें तथा यहां अंकित करें पत्र प्रेषण क्रमांक .... दिनांक ....

हस्ताक्षर शिविर प्रभारी शिक्षक हस्ताक्षर प्रधानाचार्य (मय सील)

परिशिष्ट—1

(विद्यालय का नाम)

समाज सेवा योजना मूल्यांकन प्रपत्र

सत्र 201 — 201

(17.05.201 — 31.05.201)

1. विद्यार्थी का नाम : ____________________
2. कक्षा : ____________________
3. जन्म तिथि : ____________________
4. माता का नाम : ____________________
5. पिता का नाम : ____________________
6. विद्यार्थी का प्रवेशांक : ____________________
7. मूल्यांकन के आधार पर प्राप्तांक –

क्रम	समाज सेवा गतिविधि का नाम	पूर्णांक	मूल्यांकन का मानदण्ड					प्राप्तांक
			आयोजना	प्रबंधन	क्रियान्विति	निष्पादन	गुणवत्ता	
			पूर्णांक 5	पूर्णांक 5	पूर्णांक 5	पूर्णांक 5	पूर्णांक 5	
1		25						
2		25						
3		25						
4		25						
						100 में से कुल प्राप्तांक		

8. मूल्यांकन के आधार पर ग्रेड ____________________

दलनायक शिक्षक के हस्ताक्षर प्रभारी शिक्षक के हस्ताक्षर संस्था प्रधान के हस्ताक्षर

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग–1

पाठ्य परीक्षा–2024

विषय कोड–79

कक्षा–11

नोट–इस विषय की परीक्षा विद्यालय स्तर पर आयोजित की जाएगी और प्राप्तांकों को बोर्ड कार्यालय में भिजवाया जाएगा। इस हेतु न्यूनतम उत्तीर्णांक 33 प्रतिशत निर्धारित है। ऐसे परीक्षार्थी जिन्होंने विद्यालय स्तर पर आयोजित परीक्षा में 33 प्रतिशत न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त नहीं किए हो, तो उन्हें विद्यालय स्तर पर पुनः अवसर देय होगा।

इस विषय की परीक्षा योजना निम्नानुसार है–				
प्रश्नपत्र	**समय(घंटे)**	**प्रश्नपत्र के लिए अंक**	**प्रोजेक्ट वर्क**	**पूर्णांक**
एकपत्र	**3:15**	**80**	**20**	**100**

अध्याय–1 : औपनिवेशिक भारत–सतत शोषण का काल **11**

धन का निकास, नौरोजी के अनुसार धन निष्कासन की पद्धतियां, धन निकासी का आर्थिक प्रभाव, ब्रिटिश काल में भारतीय परम्परागत उद्योगों का पतन, ब्रिटिश काल से पूर्व भारत में विभिन्न प्रकार के उद्योग, ब्रिटिश काल में कृषि पर प्रभाव, ब्रिटिश काल में हस्तशिल्प कलाओं का पतन।

अध्याय–2 : भारत का स्वतंत्रता आंदोलन **37**

राष्ट्रीय आन्दोलन–उद्भव एवं विकास के उत्तरदायी कारण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्थाओं का उदय, राष्ट्रीय आंदोलन के चरण–1. राष्ट्रीय आंदोलन का उदारवादी युग– कांग्रेस के प्रारम्भिक उद्देश्य, ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस, उदारवादियों की सफलता, 2. राष्ट्रीय आंदोलन का उग्रवादी युग–क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण, क्रान्तिकारी आन्दोलन का दूसरा चरण, 3. राष्ट्रीय आंदोलन का गाँधी युग–राष्ट्रीय आन्दोलन का आगामी घटनाक्रम, भारत छोड़ो आन्दोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के कारण, आजाद हिंद फौज, नौसैनिकों का विद्रोह, महात्मा गाँधी के विचार।

अध्याय–3 : भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया **17**

सन 1773 ई. का रेग्यूलेटिंग एक्ट, 1781 का संशोधन अधिनियम, सन 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, सन 1786 का संषोधन अधिनियम, सन 1793 का चार्टर एक्ट, सन 1813 ई. का चार्टर एक्ट, सन 1833 ई. का चार्टर एक्ट, सन 1853 ई. का चार्टर एक्ट, सन 1858 ई. का भारत सरकार अधिनियम, सन 1861 ई. का भारतीय परिषद अधिनियम, सन 1892 ई. का भारतीय परिषद अधिनियम, सन 1909 ई. का भारतीय परिषद अधिनियम (मॉर्ले मिन्टो सुधार), सन 1919 ई. का भारत सरकार अधिनियम (मोंटेग्यू–चेम्सफोर्ड सुधार), साइमन कमीशन 1927, सन 1935 ई. का भारत सरकार अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनिमय 1947, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा के प्रमुख सदस्य : प्रमुख संविधान निर्माता, संविधान निर्माण की प्रक्रिया।

अध्याय–4 : नेहरू की वैचारिक विरासत एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण **17**

वैज्ञानिक दृष्टिकोण, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, अंतरिक्ष अनुसंधान, लोकतंत्र सम्बन्धी विचार, नेहरु की आर्थिक दृष्टि : लोकतांत्रिक समाजवाद, पंथनिरपेक्षता सम्बंधी विचार, राष्ट्रवाद सम्बन्धी विचार, नेहरू का अन्तर्राष्ट्रीयवाद, असंलग्नता, पंचशील,।

अध्याय–5 : सुनियोजित विकास एवं सशक्त भारत के निर्माण की आधारशिला : नेहरू की भूमिका

आर्थिक नियोजन सम्बन्धी विचार एवं योजना आयोग का गठन, प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना।

निर्धारित पुस्तक :

आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग–1 : माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर

पाठ्यक्रम (Syllabus) परीक्षा 2024

कक्षा–कनिष्ठोपाध्यायः

विषयः– ऋग्वेद : (सप्रायोगिकम्) (44)

समयः	पूर्णाङ्काः	सैद्धान्तिकाङ्काः	प्रायोगिकाङ्काः	न्यूनतम-उत्तीर्णाङ्काः
3.15 होराः	100	70	30	36

बिन्दवः विषय-वस्तु	अङ्काः

(क) ऋग्वेद संहिता–सस्वरम् (मूलमात्रम्) प्रथममण्डलस्य 01 तः 32सूक्तानि — **30**

(क)प्रथममण्डलस्य 01 तः 16 सूक्तानि — 15

(ख)प्रथममण्डलस्य 17 तः 32 सूक्तानि — 15

(ख) वैदिकनिघण्टुः (प्रथमोऽध्यायः) — **10**

(ग) वैदिक तत्त्व मीमांसा — **15**

(घ) ग्रहशान्तिः — **15**
(ऋग्वेदीय ब्रह्मनित्यकर्मसमुच्चयः)
भद्रसूक्तम्, गणेशपूजनम्, कलशपूजनम्, नवग्रह–पूजनम्, षोडशमातृका पूजनम्, पुण्याहवाचनम्

(ङ) प्रायोगिकम् — **30**
स्वस्तिवाचनम्, गणपतिपूजनम्, नवग्रह षोडशमातृका पूजनम्, सप्तघृतमातृकापूजनम्, पुण्याहवाचनप्रयोगः

1. प्रायोगिक परीक्षायां प्रतिमासं चत्वारः प्रयोगिकाः प्रयोगाः आवश्यकाः तथा च तस्य विवरणस्य संधारणं सं स्थायामावश्यकम्।
2. छात्रस्य कृते पृथक्–पृथक् पञ्जिका (प्रायोगिकसामग्री) संस्थाद्वारा अथवा छात्रद्वारा संधारणीया।
3. कण्ठस्थीकृतमन्त्राणां श्रावणम् अथवा प्रयागद्वारा समन्त्रकं सविधि करणीयम्।

सहायकाग्रन्थाः–
1. ऋक्संहिता
2. वैदिक तत्त्व मीमांसा – डा. लम्बोदर मिश्रः
3. ऋग्वेदीय ब्रह्मनित्य कर्मसमुच्चयः

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर

पाठ्यक्रम (Syllabus) परीक्षा 2024

कक्षा-कनिष्ठोपाध्यायः

विषयः -शुक्ल-यजुर्वेदः (सप्रायोगिकम्) (45)

समयः	पूर्णाङ्काः	सैद्धान्तिकाङ्काः	प्रायोगिकाङ्काः	न्यूनतम-उत्तीर्णाङ्काः
3.15 होराः	100	70	30	36

बिन्दवः	विषय-वस्तु	अङ्काः
(क)	**शुक्लयजुर्वेदसंहिता** **सस्वरम् (मूलमात्रम्) 1 तः 3 अध्यायाः, 10+10+10**	**30**
(ख)	**वैदिकनिघण्टुः (प्रथमोऽध्यायः)**	**10**
(ग)	**वैदिकतत्त्वमीमांसा**	**15**
(घ)	**ग्रहशान्तिः** गणपतिपूजनम्, कलशपूजनम्, नवग्रहषोडशमातृकापूजनम्, पुण्याहवाचनम्।	**15**
(ङ)	**प्रायोगिकम्** स्वस्तिवाचनम्, कलशपूजनम्, गणपतिपूजनम्, नवग्रहपूजनम्, षोडशमातृकापूजनम् सप्तघृतमातृकापूजनम्, पुण्याहवाचनप्रयोगः	30

सहायकाग्रन्थाः -

1. यजुर्वेदसंहिता
2. ग्रहशान्तिपद्धतिः (वायुनन्दन मिश्रः)
3. वैदिकतत्वमीमांसा - डॉ. लम्बोदर मिश्रः

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर

पाठ्यक्रम (Syllabus) परीक्षा 2024

कक्षा-कनिष्ठोपाध्यायः

विषयः -कृष्णयजुर्वेदः (तैत्तिरीय-शाखा) (सप्रायोगिकम्) (46)

समयः	पूर्णाङ्काः	सैद्धान्तिकाङ्काः	प्रायोगिकाङ्काः	न्यूनतम-उत्तीर्णाङ्काः
3.15 होराः	100	70	30	36

बिन्दवः	विषय-वस्तु	अङ्काः
(क)	**तैत्तिरीय संहिता** **सस्वरम् (मूलमात्रम्) (प्रथमकाण्डम्)**	30
(ख)	**वैदिकनिघण्टुः(प्रथमोऽध्यायः)**	10
(ग)	**वैदिकतत्त्वमीमांसा**	15
(घ)	**ग्रहशान्तिः (कृष्णयजुर्वेदीया) आपस्तम्बगृह्यसूत्रानुसारिणी**	15
(ङ)	**प्रायोगिकम्** **स्वस्तिवाचनम्, गणपतिपूजनम्, कलशपूजनम्, नवग्रहपूजनम्, षोडशमातृकापूजनम्** **सप्तघृतमातृकापूजनम्, पुण्याहवाचनप्रयोगः, उदकशान्तिः**	30

सहायकाग्रन्थाः -

1. कृष्णयजुर्वेदसंहिता (तैत्तिरीयसंहिता)
2. वैदिकतत्त्वमीमांसा - डॉ. लम्बोदर मिश्रः
3. आपस्तम्बीय-ब्रह्मनित्यकर्मसमुच्चयः

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर

पाठ्यक्रम (Syllabus) परीक्षा 2024

कक्षा–कनिष्ठोपाध्यायः

विषयः – सामवेदः (सप्रायोगिकम्) (47)

समयः	पूर्णाङ्काः	सैद्धान्तिकाङ्काः	प्रायोगिकाङ्काः	न्यूनतम–उत्तीर्णाङ्काः
3.15 होराः	100	70	30	36

बिन्दवः	विषय–वस्तु	अङ्काः
(क)	सामवेदसंहिता–सस्वरम्, आग्नेयकाण्डम् (मूलमात्रम्)	30
(ख)	वैदिकनिघण्टुः प्रथमोऽध्यायः	10
(ग)	वैदिकतत्त्वमीमांसा	15
(घ)	छान्दोगानां ग्रहशान्तिः स्वस्तिवाचनम्, गणेशपूजनम्, कलशपूजनम्, पुण्याहवाचनम्	15
(ङ)	प्रायोगिकम् सामवेदीयं पुण्याहवाचनप्रयागः	30

सहायकाग्रन्थाः –

1. कृष्णयजुर्वेदसंहिता (तैत्तिरीय संहिता)
2. वैदिकतत्त्वमीमांसा – डॉ. लम्बोदर मिश्रः
3. आपस्तम्बीय–ब्रह्मनित्यकर्मसमुच्चयः

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर

पाठ्यक्रम (Syllabus) परीक्षा 2024

कक्षा–कनिष्ठोपाध्यायः

विषयः – अथर्ववेदः (तैत्तिरीय–शाखा) (सप्रायोगिकम्) (48)

समयः	पूर्णाङ्काः	सैद्धान्तिकाङ्काः	प्रायोगिकाङ्काः	न्यूनतम–उत्तीर्णाङ्काः
3.15 होराः	100	70	30	36

बिन्दवः	विषय–वस्तु	अङ्काः
(क)	अथर्ववेदसंहिता(सस्वरम्,मूलमात्रम्) प्रथमकाण्डस्य प्रथमतः षष्ठानुवाकपर्यन्तम्	30
(ख)	वैदिकनिघण्टुः (प्रथमोऽध्यायः)	10
(ग)	वैदिकतत्त्वमीमांसा	20
(घ)	गणपतिपूजनम्, षोडशमातृकापूजनम्, सप्तघृतमातृकापूजनम्, नवग्रहपूजनम्	10
(ङ)	प्रायोगिकम् अथर्ववेदीयपुण्याहवाचनम्, स्वस्तिवाचनम्, कलशपूजनम्, नवग्रहादिपूजनम्	30

सहायकाग्रन्थाः –

1. अथर्वसंहिता (शौनकीया)
2. वैदिकतत्त्वमीमांसा – डॉ. लम्बोदरमिश्रः

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर

पाठ्यक्रम (Syllabus) परीक्षा 2024

कक्षा–कनिष्ठोपाध्यायः

विषयः–न्यायदर्शनम् (49)

समयः	पूर्णाङ्काः	न्यूनतम–उत्तीर्णाङ्काः
3.15 होराः	100	36

बिन्दवः विषय–वस्तु	अङ्काः
(क) दर्शनशास्त्रपरिचयः	**50**
(1) भारतीयदर्शनस्य स्वरूपं लक्षणं प्रयोजनानि श्रुतिमूलकत्वञ्च।	20
(2) आस्तिक–नास्तिक दर्शनानां सामान्यपरिचयः।	30
(ख) तर्कसंग्रहः (प्रत्यक्षखण्डान्तः, पदकृत्यसहितः)	**50**
1– पदार्थविभागः	10
2–द्रव्यविभागः	10
3–गुणनिरुपणम्	10
4–कारणम्	10
5–प्रत्यक्षज्ञानभेदः	10

निर्धारितपाठ्यपुस्तकानि –

(1) दर्शनशास्त्रपरिचयः – लेखकः शंकर प्रसाद शुक्लः

(2) तर्कसंग्रहः (प्रत्यक्षखण्डान्तः पदकृत्यसहितः) लेखकः अन्नंभट्टः

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर

पाठ्यक्रम (Syllabus) परीक्षा 2024

कक्षा–कनिष्ठोपाध्यायः

विषयः–वेदान्तदर्शनम् (50)

समयः	पूर्णाङ्काः	न्यूनतम–उत्तीर्णाङ्काः
3.15 होराः	100	36

बिन्दवः	विषय–वस्तु	अङ्काः
(1)	भारतीयदर्शनस्य स्वरूपं लक्षणं प्रयोजनानि श्रुतिमूलकत्वञ्च।	20
(2)	आस्तिक –नास्तिक दर्शनानां सामान्यपरिचयः।	30
(3)	वेदान्तसारः (सदानन्दयोगीन्द्रः) प्रारम्भतः चैतन्यस्वरूपपर्यन्तम्।	50

निर्धारितपाठ्यपुस्तकानि–

(1) दर्शनशास्त्रपरिचयः, लेखक : शंकर प्रसाद शुक्लः

(2) वेदान्तसारः (सदानन्दयोगीन्द्रः)

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर

पाठ्यक्रम (Syllabus) परीक्षा 2024

कक्षा-कनिष्ठोपाध्यायः

विषयः-मीमांसादर्शनम् (51)

समयः	पूर्णाङ्काः	न्यूनतम-उत्तीर्णाङ्काः
3.15 होराः	100	36

बिन्दवः	विषय-वस्तु	अङ्काः
(1)	भारतीयदर्शनस्य स्वरूपं लक्षणं प्रयोजनानि श्रुतिमूलकत्वञ्च।	20
(2)	आस्तिक-नास्तिक दर्शनानां सामान्यपरिचयः।	30
(3)	मीमांसा-परिभाषा (मूलमात्रम्)	50

निर्धारितपाठ्यपुस्तकानि -

(१) दर्शनशास्त्र परिचयः, लेखकः शंकर प्रसाद शुक्लः

(२) मीमांसा-परिभाषा (मूलमात्रम्) व्याख्या-कमलनयन शर्मा

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर

पाठ्यक्रम (Syllabus) परीक्षा 2024

कक्षा–कनिष्ठोपाध्यायः

विषयः-जैनदर्शनम् (52)

समयः	पूर्णाङ्काः	न्यूनतम-उत्तीर्णाङ्काः
3.15 होराः	100	36

बिन्दवः विषय-वस्तु	अङ्काः
(क) दर्शनशास्त्रपरिचयः	50

I. दर्शनस्य स्वरूपं, लक्षणं प्रयोजनं च
II. भारतीय दर्शनस्य स्रोतांसि
III. श्रीमद्भगवद्गीता–दर्शनम्
IV. चार्वाक–दर्शनम्
V. जैन–दर्शनम्
VI. बौद्ध–दर्शनम्
VII. सांख्य–दर्शनम्
VIII. योग–दर्शनम्
IX. न्याय–दर्शनम्
X. वैशेषिक–दर्शनम्
XI. मीमांसा–दर्शनम्
XII. वेदान्त–दर्शनम्
XIII. गान्धि–दर्शनम्

(ख) परीक्षा–मुखम् **50**

I. प्रमाणस्य स्वरूपम्
II. प्रमाणस्य भेदाः, प्रत्यक्षप्रमाणं च
III. परोक्षप्रमाणरस्य स्वरूपं भेदाश्च्
IV. प्रमाणरस्य विषयनिर्णयः
V. प्रमाणरस्य फलम्

निर्धारितानि पाठ्यपुस्तकानि –

(1) दर्शनशास्त्रपरिचयः, लेखकः – शंकर प्रसाद शुक्लः

(2) परीक्षामुखम् – लेखकः – आ. माणिक्यानन्दी

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर

पाठ्यक्रम (Syllabus) परीक्षा 2024

कक्षा-कनिष्ठोपाध्यायः

विषयः-निम्बार्कदर्शनम् (53)

समयः	पूर्णाङ्काः	न्यूनतम-उत्तीर्णाङ्काः
3.15 होराः	100	36

बिन्दवः	विषय-वस्तु	अङ्काः
(1)	भारतीयदर्शनस्य स्वरूपं लक्षणं प्रयोजनानि श्रुतिमूलकत्वञ्च।	20
(2)	आस्तिक-नास्तिकदर्शनानां सामान्यपरिचयः।	30
(3)	वेदान्तदशश्लोकी- तत्त्वसारप्रकाशिनीव्याख्या सहिता।	50

निर्धारितपाठ्यपुस्तकानि -

(1) दर्शनशास्त्रपरिचयः- लेखकः - शंकर प्रसाद शुक्लः

(2) वेदान्तदशश्लोकी - तत्त्वसारप्रकाशिनीव्याख्या- व्याख्याकारः - श्री नन्ददासः

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर

पाठ्यक्रम (Syllabus) परीक्षा 2024

कक्षा–कनिष्ठोपाध्यायः

विषयः–वल्लभदर्शनम् (54)

समयः	पूर्णाङ्काः	न्यूनतम–उत्तीर्णाङ्काः
3.15 होराः	100	36

बिन्दवः	विषय–वस्तु	अङ्काः
(1)	भारतीयदर्शनस्य स्वरूपं लक्षणं प्रयोजनानि श्रुतिमूलकत्वञ्च।	20
(2)	आस्तिक–नास्तिक दर्शनानां सामान्यपरिचयः।	30
(3)	सर्वोत्तमः स्त्रोतः	30
(4)	आचार्यस्य चरित्रम् – पाठ्यांशस्य प्रत्यक्षखण्डात् व्याख्यात्मकप्रश्नाः	20

निर्धारितपाठ्यपुस्तकानि –

(1) दर्शनशास्त्रपरिचयः– लेखकः शंकर प्रसाद शुक्लः

(2) सर्वोत्तम–स्त्रोतः – चौखम्बा प्रकाशन, वाराणसी

(3) आचार्यस्य चरित्रम् – चौखम्बा प्रकाशन, वाराणसी

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर

पाठ्यक्रम (Syllabus) परीक्षा 2024

कक्षा–कनिष्ठोपाध्यायः

विषयः–सामान्यदर्शनम् (55)

समयः	पूर्णाङ्काः	न्यूनतम–उत्तीर्णाङ्काः
3.15 होराः	100	36

बिन्दवः	विषय–वस्तु	अङ्काः
(1)	भारतीयदर्शनस्य स्वरूपं लक्षणं प्रयोजनानि श्रुतिमूलकत्वञ्च।	20
(2)	आस्तिक –नास्तिकदर्शनानां सामान्यपरिचयः।	30
(3)	तर्कसंग्रहः,मूलभागः प्रत्यक्षखण्डान्तः	50

निर्धारितानि पाठ्यपुस्तकानि –

(1) दर्शनशास्त्रपरिचयः लेखकः – शंकर प्रसाद शुक्लः

(2) तर्कसंग्रहः (प्रत्यक्षखण्डान्तः) लेखकः – अन्नंभट्टः

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर

पाठ्यक्रम (Syllabus) परीक्षा 2024

कक्षा–11 (कनिष्ठोपाध्यायः)

विषयः–सामान्य विज्ञान (56)

क.सं.	समय (घंटे)	पूर्णांक	अंकभार	न्यूनतम उत्तीर्णांक
सैद्धान्तिक	3:15	70	100	36
प्रायोगिक	4:00	30		

पुस्तक का नाम– संस्कृत शिक्षा सामान्य विज्ञान (कनिष्ठ उपाध्याय)

ईकाई संख्या व नाम	अध्याय संख्या व नाम	शीर्षक एवं विषय वस्तु	अंक भार
		खण्ड (क)–भौतिक विज्ञान	
1	मापन एवं सदिश	मापन के लिए मात्रक, मात्रक पद्धतियाँ एवं मूल मात्रक, भौतिक राशियों की विमाएं, सदिश व उनके प्रकार, सदिशों पर संक्रियाएं, कार्तीय निर्देशांक पद्धति, सदिश का वियोजन।	3
2	दृढ़ पिण्ड गतिकी	द्रव्यमान केन्द्र, दृढ़पिण्ड की गतिकी, घूर्णन गति, बल आघूर्ण, कोणीय संवेग, जडत्व आघूर्ण, घूर्णन गतिज ऊर्जा, लम्बवत् एवं समान्तर अक्ष की प्रमेय (केवल कथन)।	4
3	संरक्षण नियम एवं टक्करें	संरक्षी एवं असंरक्षी बल, ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण, एवं कोणिय संवेग संरक्षण सिद्वान्त, प्रत्यास्थ एवं अप्रत्यास्थ टक्करें।	4
4	पृष्ठ तनाव	परिभाषा, आणविक बलों के आधार पर व्याख्या–ससंजक बल एवं असंजक बल, स्पर्श कोण, वक्र पृष्ठ का दाब आधिक्य।	4
5	गैसों का गत्यात्मक सिद्वांत	ताप अवधारणा, मानक ताप एवं पैमाना, दाब, गैसों में सिद्धान्त के अभिगृहित, आदर्श गैस में दाब की गणना, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गैलुसाक का नियम, आंवोगाद्रों का नियम, आर्दर्श गैस समीकरण, अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा	4
6.	प्रकाश का तंरगों की प्रकृति	परावर्तन, अपवर्तन, तंरगे या तंरगाग्र, तरंगों के प्रकार–अनुद्धैर्श्य एवं अनुप्रस्थ तरंगे, तरंग सम्बन्धित परिभाषाएं–तरंग स्वरूप –(आयाम, आवृति, आवर्तकाल, तरंग दैर्ध्य), कला कोण, कोणिय आवृति, तरंग संख्या, तरंग वेग, तरंग तीव्रता, ऊर्जा, शक्ति, अभिवाह अध्यारोपण सिद्धान्त, व्यतिकरण, कला, संबद्ध स्त्रोत, विसपन्द, अप्रगामी तरंग, तनी हुई डोरी में अप्रगामी तंरगे, एवं कम्पनों के नियम, स्वरमापर, मेल्डीज प्रयोग, वायुस्तम्भ में अप्रगामी तरंग (बंद व खुल वायुस्तम्भ), विवर्तन, विद्युत चुत्बकीय तरंग एवं वर्णक्रम।	4
		खण्ड (ख) –रसायन विज्ञान	
7.	परमाणु की संरचना	डॉल्टन का परमाणु सिद्वान्त, परमाणु मॉडल (थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड की नाभिकीय परमाणु मॉडल, बोर मॉडल), कक्षक और क्वांटम संख्या, परमाणु कक्षकों की आकृतियाँ, ऑफबाऊ नियम–पाउली का अपवर्जन सिद्वान्त, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, (n+l) नियम, अर्द्धपूरित तथा पुर्णपुरित कक्षों का स्थायित्व।	6
8.	तत्त्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता	आधुनिक आवर्त नियम तथा आवर्त सारणी का आधुनिक स्वरूप तत्त्वों के	6

		इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा आवर्त सारणी, तत्त्वों के गुणधर्मों में आवर्तिता (परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, आयनन विभव, विद्युत ऋणात्मकता, इलैक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी।	
9.	अम्ल क्षार	आरेनियस अवधारणा, ब्रॉन्स्टेड–लॉरी अवधारणा, लुईस की अम्ल–क्षार अवधारणा, अम्ल–क्षार वियोजन, pH स्केल, लवणों का जल अपघटन, जल अपघटन स्थिरांक, आयनन, आयनन/वियोजन की मात्रा, आयनन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक।	6
10.	ऑक्सीकरण–अपचयन	परिभाषा, ऑक्सीकरण–अपचयन अभिक्रिया की आयन–इलेक्ट्रॉन अवधारणा, रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण–अपचयन की आयन इलेक्ट्रॉन विधि से समीकरण संतुलित करना।	5
		खण्ड (ग) – जीव विज्ञान	
11.	मुख्य पादपो समूहों के लक्षणिक लक्षण एवं वनस्पति विज्ञान की विभिन्न शाखाऐं	प्रोकैरियोटा एवं यूकैरियोटा, थैलोफाइटा (कवक, शैवाल), वनस्पति विज्ञान कर विभिन्न शाखाऐं।	4
	ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा (जिम्नोस्पर्म व एन्जियोस्पर्म)	ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा (जिम्नोस्पर्म व एन्जियोस्पर्म) के लाक्षणिक लक्षण	
12.	विषाणु एवं माइकोप्लाज्मा	विषाणु या वायरस की प्रकृति, संरचना, नामकरण, बहुगुणन अथवा जनन एवं संचरण, विषाणुजनित प्रमुख रोग, जीवाणुभोजी, माइकोप्लाज्मा–प्रमुख लक्षण, वर्गीकरण एवं संरचना, रोग संचरण, माइकोप्लाज्माजन्य प्रमुख रोग।	8
	जीवाणु	आवास, वर्गीकरण एवं संरचना, जीवाणु कोशिका संरचना, पोषण, जीवाणुओं में श्वसन एवं जनन, ग्राम पॉजेटिव एवं ग्राम नेगेटिव जीवाणु	
	शैवाल–यूलोथ्रिक्स एवं कवक एल्ब्यूगो	यूलोथ्रिक्स–वर्गीकरण स्थिति, आवास व स्वभाव, आकार तथा संरचना, जनन। एल्ब्यूगो–वर्गीकरण स्थिति, वितरण, थैलेस की संरचना, जनन।	
	ब्रायोफाइटा–रिक्सिया एवं टेरिडोफाइटा–टेरिडियम	रिक्सिया–वर्गीकरण स्थिति, वितरण व स्वभाव, युग्मकोद्भिद प्रावस्था, बीजाणुद्भिद् प्रावस्था, टेरिडियम–वर्गीकरण स्थिति, वितरण व स्वभाव, बाह्य एवं आंतरिक संरचना, जनन, युग्मकोद्भिद्	
	एन्जियोस्पर्म–कैप्सेला	वर्गीकरण स्थिति, आवास, व आकृति, पत्ती, पुष्पक्रम, पुष्प, बीज व फल का निर्माण	
13.	पारिस्थितिक तंत्र	संरचना, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पारिस्थतिक तंत्र संतुलन, जैव–भू रासायनिक चक्र (कार्बन, जल, नाइट्रोजन), पारिस्थतिक तंत्र के प्रकार, पारिस्थतिक पिरामिड़	4
	पादपों के पारिस्थितिक अनुकूलन	जलोद्भिद्, मरूद्भिद, लवणोद्भिद्, समोद्भिद् पादपों के पारिस्थितिक अनुकूलन	
14	मेण्डलवाद	परिभाषा, मटर के पौधे के चुनाव का कारण, मेंडल द्वारा चयनित विशेषक, मेंडलवाद से संबंधित आनुवांशिक शब्द, एकसंकर संकरण, द्विसंकर संकरण, मेंडल के आनुवांशिक नियम, पूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, संकर, पूर्वजसंकरण, परीक्षण संकरण	4
15	कोशिका, कोशिकांग एवं कार्य	प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, कोशिका सिद्धान्त, कोशिका संरचना, जन्तु एवं पादप कोशिका में अंतर,	4
	कोशिका विभाजन	परिभाषा एवं महत्व, कोशिका विभाजन के मुख्य प्रकार–समसूत्री विभाजन एवं उसका महत्व, अर्द्धसूत्री विभाजन एवं उसका महत्व।	

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर

पाठ्यक्रम (Syllabus) परीक्षा 2024

कक्षा–11 (कनिष्ठोपाध्यायः)

विषयः–सामान्य विज्ञान प्रायोगिक (56)

01. प्रयोगशाला की सामान्य जानकारी–कार्य के नियम, सावधानियाँ, उपकरण, यंत्र, रसायन
02. पदार्थों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन
03. पदार्थों का पृथक्करण एवं शोधन की विधियाँ
04. क्वथनांक, गलनांक का मापन
05. अम्ल–क्षार अनुमापन
06. P^Hमापन
07. ऑक्सीकरण–अपचयन अनुमापन
08. पृष्ठ तनाव के प्रयोग
09. श्यानता मापन के प्रयोग
10. बॉयल व चार्ल्स के नियम का सत्यापन
11. प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन के प्रयोग
12. पारिस्थितिकी तंत्र पर आधारित प्रयोग
13. चेकर बोर्ड से आनुवांशिकी नियमों का अध्ययन
14. समसूत्री व अर्द्धसूत्री विभाजन की अवस्थाओं का स्लाइड के माध्यम से अध्ययन
15. पादप कोशिका–प्याज की झिल्ली का अध्ययन, मॉडल चित्र में कोशिकागों का अध्ययन
16. पाठ्यक्रम में निर्धारित पादप नमूनों का अध्ययन

निर्धारित पुस्तक–

सामान्य विज्ञान– माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा प्रकाशित।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर

पाठ्यक्रम (Syllabus) परीक्षा 2024

कक्षा–कनिष्ठोपाध्यायः

विषयः–रामानन्ददर्शनम् (57)

समयः	पूर्णाङ्काः	न्यूनतम–उत्तीर्णाङ्काः
3.15 होराः	100	36

क्र.सं.	पाठ्य–वस्तूनि	अंकभारः
1.	**श्रीमद्भगवद्गीता–आनन्दभाष्यम्**	**60**
	(प्रथम–द्वितीय–तृतीय–अध्यायाः)	
	(क) प्रथमाध्यायात् द्वयोः श्लोकयोरेकस्य संस्कृते व्याख्या	06
	(ख) अर्जुनविषादविषये प्रश्नाः	07
	(ग) कुलक्षयकृतदोषविषये प्रश्नाः	07
	(घ) द्वितीयाध्यायात् द्वयोः श्लोकयोः संस्कृते भावार्थः	07
	(ड.) ज्ञानयोगस्य महत्त्वविषये आत्मतत्त्ववैशिष्ट्यविषये च प्रश्नाः	05
	(च) आत्मनित्यत्व–वर्णधर्म–व्यवसायात्मिका बुद्धि–समत्वयोग–स्थितप्रज्ञ ब्राह्मीस्थिति प्रभृतिविषयेषु प्रश्नाः	07
	(छ) तृतीयाध्यायात् द्वयोः श्लोकयोरेकस्य संस्कृते व्याख्या	06
	(ज) निष्ठाभेद–यज्ञ महत्त्व–कर्माचारविधिविषयेषु प्रश्नाः	05
	(झ) सकामकर्म–निष्कामकर्म–कर्मसन्यासविषयेप्रश्नाः	06
	(ञ) स्वधर्म–परधर्म–बुद्धिपरत्वादिविषयेषु प्रश्नाः	04
2.	**ईशोपनिषद् (आनन्दभाष्यम्)**	**20**
	(क) निर्धारितपुस्तकात् एकस्य मंत्रस्य संस्कृते ससन्दर्भप्रसङ्गोपेता व्याख्या	05
	(ख) मन्त्रवैशिष्ट्यविषये प्रश्नाः	05
	(ग) निर्धारितपुस्तकात् द्वयोर्मन्त्रयोरेकस्य संप्रसङ्गभावार्थः	05
	(घ) विषयवस्तुविषयकाः प्रश्नाः	05
3.	**रामानन्ददर्शनस्येतिहासः**	**20**
	(अधोलिखिताचार्याणां परिचयः पाठ्यत्वेन निर्धारितोऽस्ति– रामानन्दाचार्यः, अनन्तानन्दाचार्यः, सुरसुरानन्दाचार्यः, सुखानन्दाचार्यः, योगनन्दाचार्यः)	

निर्धारित पुस्तकानि

1. श्रीमद्भगवद्गीता– आनन्दभाष्यम्

प्र. अखिलभारतवर्षीय श्री रामानन्दवेदान्त प्रचार समिति(ज.रा. पीठ चौक, अहमदाबाद, गुजरात)

2. ईशोपनिषद् (आनन्दभाष्यम्)

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर

पाठ्यक्रम (Syllabus) परीक्षा 2024

कक्षा–कनिष्ठोपाध्यायः

विषयः– व्याकरणशास्त्रम् (86)

समयः	पूर्णाङ्काः	न्यूनतम–उत्तीर्णाङ्काः
3.15 होराः	100	36

क्र.सं.	अधिगमक्षेत्रम्	अङ्कभारः
1.	**वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी (संज्ञा, परिभाषा, सन्धिः, अजन्तः(सम्पूर्णम्))**	**80**
	(क) संज्ञाप्रकरण–परिभाषाप्रकरणं च – सोदाहरणं सूत्रार्थः, सूत्रव्याख्या, तत्सम्बन्धिनः प्रश्नाश्च–	15
	(ख) सन्धिप्रकरणम् – सोदाहरणं सूत्रार्थः सूत्र व्याख्या, तत्सम्बन्धिनः प्रयोगाश्च–	20
	(ग) अजन्त–पुंल्लिङ्गम्– सोदाहरणं सूत्रार्थः सूत्रव्याख्या, तत्सम्बन्धिनः प्रयोगाश्च–	20
	(घ) अजन्त–स्त्रीलिङ्गम् सोदाहरण–सूत्रार्थः सूत्रव्याख्या, तत्सम्बन्धिनः प्रयोगाश्च–	15
	(ङ) अजन्त–नपुंसकलिङ्गम्– सोदाहरणं सूत्रार्थः सूत्रव्याख्या, तत्सम्बन्धिनः प्रयोगाश्च–	10
2.	**पाणिनीयशिक्षा** कारिकाणां व्याख्या, तत्सम्बन्धिनः प्रश्नाश्च–	**20**

निर्धारितपुस्तकम्–

व्याकरणशास्त्रम् (प्रथमो भागः)

माध्यमिक–शिक्षा–बोर्ड राजस्थान, अजमेरद्वारा–प्रकाशितः

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर

पाठ्यक्रम (Syllabus) परीक्षा 2024

कक्षा–कनिष्ठोपाध्याय:

विषय:– साहित्यशास्त्रम् (87)

समय:	पूर्णाङ्का:	न्यूनतम–उत्तीर्णाङ्का:
3.15 होरा:	100	36

क्र.सं.		अधिगमक्षेत्रम्	अङ्कभार:
1.		**चन्द्रालोक: प्रथममयूखत: पञ्चममयूखस्य 50 श्लोकपर्यन्तम्**	**50**
	(क)	प्रथम–मयूख–सम्बन्धि–प्रश्ना:–	07
	(ख)	द्वितीय–मयूख– सम्बन्धि–प्रश्ना:–	14
	(ग)	तृतीय–मयूख– सम्बन्धि–प्रश्ना:–	07
	(घ)	चतुर्थ–मयूख– सम्बन्धि–प्रश्ना:–	07
	(ङ)	पञ्चम–मयूख– सम्बन्धि–प्रश्ना:–	15
2.		**रघुवंशम् (प्रथम: सर्ग:)**	**20**
	(क)	सन्दर्भ–प्रसंग–अन्वय–व्याख्या–भावार्थाश्च	10
	(ख)	विषयवस्तु सम्बन्धि –प्रश्ना:	10
3.		**स्वप्नवासवदत्तम् (नाटकम्)**	**30**
	(क)	सन्दर्भ–प्रसंग–अन्वय– व्याख्या –भावार्थाश्च	10
	(ख)	विषयवस्तुसम्बन्धि–प्रश्ना:	10
	(ग)	नाटकपात्रपरिचय:	05
	(घ)	कविपरिचय:	05

निर्धारितपुस्तकम्–

काव्यशास्त्रालोक: (प्रथमो भाग:)

माध्यमिक–शिक्षा–बोर्ड, राजस्थान, अजमेरद्वारा–प्रकाशित:

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर

पाठ्यक्रम (Syllabus) परीक्षा 2024

कक्षा–कनिष्ठोपाध्यायः

विषयः– पुराणेतिहासः (88)

समयः	पूर्णाङ्काः	न्यूनतम–उत्तीर्णाङ्काः
3.15 होराः	100	36

बिन्दवः	विषय–वस्तु	अङ्काः
(क)	**विष्णुपुराणम् (प्रथम द्वितीयाध्यायौ)**	**35**
	1. नियतपाठ्यांशस्य त्रयाणां प्रसङ्गानां ससंदर्भ–व्याख्या। (पदच्छेद–अन्वय–कोष–समास–व्याकरणात्मिका च प्रसङ्गसहिता)	15
	2. सप्रसङ्ग–श्लोकबद्ध–भावार्थ–लेखनम्।	5
	3. कस्यापि श्लोकस्य भावार्थलेखनम्	5
	4. कविविषयकथाप्रसंग–सारांश–सम्बन्धिप्रश्राः	5
	5. प्रसङ्ग–सम्बन्धी एक : सामान्यः प्रश्नः	5
(ख)	**पुराण–परिचयः**	**15**
	1. श्रीमद्भागवतपुराणस्य, विष्णु–पुराणस्य च विषयवस्तु–सम्बन्धिनः एक प्रश्नः	5
	2. कस्यापि एकस्य पुराणस्योपरि परिचयात्मक–टिप्पणी	5
	3. पुराणानां विषयवस्तु–सम्बन्धिनः विषयाधारित–संस्कृतेन लेखनम्।	5
(ग)	**महाभारतम् (आदिपर्वणि पञ्चसप्ततितः पञ्चाशीति सर्गपर्यन्तम्)**	**35**
	1. नियम–पाठ्यांशस्य त्रयाणां प्रसङ्गानां ससंदर्भ–व्याख्या। (पदच्छेद–अन्वय–कोष–समास–सप्रसङ्ग–व्याकरणांशश्च)	15
	2. सप्रसङ्ग–श्लोकबद्ध–यथार्थ–लेखनम्।	5
	3. कस्यापि श्लोकस्य सूक्त्याः वा स्पष्टं पल्लवनम्।	5
	4. कवि–विषयकस्य कथाप्रसङ्गस्य वा सारांश–सम्बन्धिनः प्रश्नाः।	5
	5. प्रसङ्ग–सम्बन्धी एकः सामान्यः प्रश्नः।	5
(घ)	**श्रीमद्भगवद्गीता (द्वितीयोऽध्यायः)**	**15**
	1. नियम–पाठ्यांशस्य–कोष–समास–सप्रसङ्ग–व्याख्या	7
	2. गीतायाः महत्त्वपरकः परिचयात्मकश्च सामान्यः प्रश्नः	5
	3. प्रसङ्ग–सम्बन्धी एकः सामान्यः प्रश्नः।	3

निर्धारितानि पुस्तकानि –

1. विष्णु–पुराणम् (प्रथमतः द्वितीयध्याय–पर्यन्तम्), प्रकाशकः– संस्कृत संस्थानम्, बरेली
2. अष्टादश–पुराण विमर्शनम्, लेखकः– बलदेव उपाध्यायः प्रकाशकः– चौखम्बा प्रकाशनम्,वाराणसी
3. महाभारतम् (आदिपर्वतः पञ्चसप्ततितः पञ्चाशीतितमः अध्यायपर्यन्तम्) प्रकाशकः– गीता प्रेस, गौरखपुरम्
4. श्रीमद्भगवद्गीता (द्वितीयोऽध्यायः) व्याख्याकारः– राजेन्द्र शर्मा प्रकाशकः– जगदीश संस्कृत पुस्तकालयः जयपुरम्

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर

पाठ्यक्रम (Syllabus) परीक्षा 2024

कक्षा–कनिष्ठोपाध्यायः

विषयः– धर्मशास्त्रम् (89)

उद्देश्यानि

1. छात्रेभ्यः पुरुषार्थ–चतुष्ट्यस्य प्राप्तत्यर्थं धर्मशास्त्रद्वारा आचरणशिक्षणम्।
2. आचरणनियमानां क्रमिकेतिहासबोधनम्।
3. गर्भाधानतः अन्त्येष्टिपर्यन्तानां संस्काराणां ज्ञानम्।
4. व्रत–पर्वोत्सव–आशौच–व्यवहार–दिनचर्या–विषयक–धर्मशास्त्रसम्मतव्यवस्थानां प्रतिपादनक्षमतोत्पादनम्।
5. सर्वधर्म–समभाव–सदाचरण–सहिष्णुतादि जीवनमूल्यानां शिक्षणम्।
6. पर्यावरणं प्रति चेतनाजागरणम्।
7. कुशलप्रशासनव्यवस्थायाः विभिन्नायामैः परिचयदानम्।

समयः	पूर्णाङ्काः	न्यूनतम–उत्तीर्णाङ्काः
3.15 होराः	100	36

बिन्दवः	विषय–वस्तु	अङ्काः
	याज्ञवल्क्यस्मृतिः (आचाराध्यायः)	**85**
1.	स्मार्तधर्मः, धर्मस्य स्थानानि, प्रयोजक ऋषयः, धर्मस्य कारणानि, ज्ञापकहेतवः, संस्काराःगर्भाधानतः उपनयनपर्यन्तसंस्काराः, कालनिर्णयश्च, प्रजापत्यादितीर्थ–आचमन–प्राणायाम–प्रकाराः, गुर्वाचार्यादिलक्षणानि, पञ्चमहायज्ञफल विवेचनञ्च।	40
2.	कन्या लक्षणं, सापिण्ड्यविचारः, विवाहप्रकाराः, पतिव्रता–प्रशंसा, स्त्रीधर्म– ऋतुकालावधि विवेचनञ्च।	15
3.	गृहस्थधर्माः, पञ्चमहायज्ञाः, अतिथिभोजनम्, ब्राह्ममुहूर्तचिन्तनम्, जातिधर्मनिर्णयः, स्नातक धर्मः, भक्ष्याभक्ष्यविवेकः।	10
4.	द्रव्यशुद्धिविवेचनम्, दानधर्मविवेचनम्, गोदानम्, भूमिदानम्, ग्रहादिदानम्, पुष्पम्, उभयतोमुखि गोलक्षणञ्च।	10
5.	श्राद्धविवेचनम् – श्राद्धप्रकाशः।	05
6.	गणपतिकल्पविवेचनम्, ग्रहशान्तिविवेचनम्, राजधर्मप्रकरणं च।	05
	धर्मशास्त्रस्येतिहासः	15
1.	धर्मसूत्रकालः, धर्मसूत्राणि, धर्मसूत्रकाराश्च।	

निर्धारितानि पुस्तकानि –

1. याज्ञवल्क्यस्मृतिः (आचाराध्यायः) डॉ. कमल नयन शर्मा
   प्रकाशक– जगदीश संस्कृत पुस्तकालय, जयपुर
2. धर्मशास्त्र का इतिहास (प्रथम भाग) – डॉ. पी.वी. काणे, उत्तरप्रदेश हिन्दी समिति,लखनऊ(उ.प्र.)

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर

पाठ्यक्रम (Syllabus) परीक्षा 2024

कक्षा–कनिष्ठोपाध्यायः

विषयः– ज्योतिषशास्त्रम् (सप्रायोगिकम्)(90)

उद्देश्यानि

1. नक्षत्र–मुहूर्त–व्रतोत्सव–पर्व–तिथ्यादीनां ज्ञान–विधिप्रतिपादनम्।
2. गणित–फलितादि–स्वरूपप्रतिपादनम्।
3. पञ्चाङ्ग–निर्माण–क्षमतोत्पादनम्।
4. भारतीय–कालगणनायाः ज्ञानोत्पादनम्।
5. ज्योतिष–शास्त्रस्य गणितीयसूत्रैः सरलतमविधिभिः अङ्क–रेखा–बीजगणित–सिद्धान्तानाम् अवबोधक्षमतोत्पादनम्।
6. ज्योतिषस्य वैज्ञानिकपक्षाणामवबोधक्षमतोत्पादनम्।

समयः	पूर्णाङ्काः	सैद्धान्तिकाङ्काः	प्रायोगिकाङ्काः	न्यूनतम–उत्तीर्णाङ्काः
3.15 होराः	100	70	30	36

बिन्दवः		विषय–वस्तु	अङ्काः
(क)		**जातकालङ्कारः** (संज्ञाध्यायः, भावाध्यायः, योगाध्यायश्च)	**20**
	1.	द्वादशभाव–संज्ञाज्ञानम्, ग्रहमैत्रीविचार, ग्रहदृष्टिविचारः, प्रारम्भिक चतुर्णाम् भावानां शुभाशुभज्ञानम्	10
	2.	पञ्चम भावतो द्वादशभाव पर्यन्तानां भावानां शुभाशुभविचारः, पुत्रयोगस्य, आयुर्योगस्य, विवाहयोगस्य च विचारः।	10
(ख)		**लीलावती (प्रथमः अध्यायः)**	**30**
(ग)		**होडाचक्रम्**	**20**
	1.	तिथि–वार–नक्षत्र–योग–करणानां ज्ञानम्।	05
	2.	षोडश–संस्कारमुहूर्ताः	10
	3.	विविधमुहूर्ताः	05
(घ)		**प्रायोगिकम्**	**30**
	1.	सैद्धान्तिक–अध्ययनाधारित–प्रायोगिक–कार्यस्य पंजिका संधारणीया, सा च वार्षिक–प्रायोगिक–परीक्षा काले प्रस्तोतव्या	10
	2.	जन्मलग्ननिर्धारणं कुण्डली–निर्माणज्ञानं च	10
	3.	वर्ष कुण्डली निमार्ण, द्वादश राशिषु ग्रहस्थिति–निर्धारणं, मुन्थामुग्ध्योंः दशापरिचयः	05
	4.	विविधसंस्कारमुहूर्तानाम् साधनम्	05

निर्धारितानि पुस्तकानि –

1. जातकालङ्कारः (लेखक – गणेशदैवज्ञः)
2. लीलावती (प्रथमः अध्यायः)
3. होडाचक्रम्

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर

पाठ्यक्रम (Syllabus) परीक्षा 2024

कक्षा–कनिष्ठोपाध्यायः

विषयः– सामुद्रिकशास्त्रम् (सप्रायोगिकम्) (91)

उद्देश्यानि

1. शारीरिकलक्षणैः व्यक्तित्वपरीक्षणज्ञानम्
2. मुखावलोकनेन प्राण्याकृतिज्ञानम्
3. अंगावलोकनेन शुभाशुभफलकथनयोग्यतोत्पादनम्
4. अंगीनाम् व्यवहार–परीक्षणकौशलोत्पादनम्।

समयः	पूर्णाङ्काः	सैद्धान्तिकाङ्काः	प्रायोगिकाङ्काः	न्यूनतम–उत्तीर्णाङ्काः
3.15 होराः	100	70	30	36

बिन्दवः		विषय–वस्तु	अङ्काः
(क)		**सामुद्रिक–रहस्यम्**	**70**
	1.	शास्त्रपरिचयः, स्वरूपम्, प्रयोजनम्, चिह्ननामानि	10
	2.	पाठ्यांशस्य गात्रलक्षणानि	20
	3.	गात्राणाम् विशिष्ट फलकथनम्	10
	4.	पाठ्यांशस्य व्याख्यापरक–प्रश्नाः	20
	5.	शरीर चिह्नानां नामानि	10
(ख)		**प्रायोगिकम्**	
	1.	**हस्तरेखाज्ञानम्**	**30**
	(i)	रेखाः	10
	(ii)	द्वीपाः	05
	(iii)	यवाः	05
	(iv)	पर्वाणि	05
	(v)	भग्न चिह्नानि	05

निर्धारितानि पुस्तकानि –

1. **सामुद्रिक–रहस्यम्**
   प्रकाशकः– चौखम्बा–विद्याभवनम् वाराणसी
2. **हस्तरेखा–ज्ञानम्**

प्रकाशकः – चौखम्बा विद्याभवनम्, वाराणसी

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर

पाठ्यक्रम (Syllabus) परीक्षा 2024

कक्षा–कनिष्ठोपाध्यायः

विषयः– वास्तु–विज्ञानम् (सप्रायोगिकम्) (92)

उद्देश्यानि

1. वास्तु–परीक्षण द्वारा भूमिः चयनज्ञानम्, पर्यावरणानुकूलभवननिर्माणम्
2. गृह–भवन–प्रासाद–हर्म्य–दुर्ग–निर्माणे वैशिष्ट्य–कथनम्
3. गृहे आन्तरिक–सज्जाकौशलोत्पादनम्, विभिन्न–वृक्षाणां वपनविधिना पर्यावरण–वास्तु ज्ञानम्

समयः	पूर्णाङ्काः	सैद्धान्तिकाङ्काः	प्रायोगिकाङ्काः	न्यूनतम–उत्तीर्णाङ्काः
3.15 होराः	100	70	30	36

बिन्दवः	विषय–वस्तु	अङ्काः
(क)	**बृहत्संहिता–वास्तु–अधिकाराध्य–भावम्**	**35**
1.	वास्तु–शास्त्रस्य परिचयः, स्वरूपम्, भू–भवन–लक्षणानि शल्यफलकथनम्	10
2.	पाठ्यांशात् व्याख्या–परक–प्रश्नाः	10
3.	वृक्षाणां फल कथनम्	05
4.	गृह–भवन–प्रासाद–हर्म्य–दुर्ग–लक्षणभेदाः, प्रमाणानि च	10
(ख)	**वास्तु–सौख्यम्**	**35**
1.	आन्तरिक सज्जा–ज्ञानम्	10
2.	पाठ्यांशात् व्याख्या –परक–प्रश्नाः	10
3.	पाठ्यांशस्य विश्लेषणात्मकप्रश्नाः	15
(ग)	**प्रायोगिकम्**	**30**
1.	वास्तु–शान्तिपद्धतिः	10
2.	शल्य–परीक्षण–निस्सारणविधिः	10
3.	निरापद–भूखण्डस्वामिमेलापकम्	10

निर्धारितानि पुस्तकानि –

1. **बृहत्संहिता** (वराह मिहिरः)
   प्रकाशकः– चौखम्बा–विद्याभवनम् वाराणसी
2. **वास्तु–सौख्यम् प्रकाशकः** – सम्पूर्णानन्द, संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर

पाठ्यक्रम (Syllabus) परीक्षा 2024

कक्षा–कनिष्ठोपाध्यायः

विषयः– पौरोहित्यशास्त्रम्(सप्रायोगिकम्) (93)

उद्देश्यानि

1. भारतीय–सामाजिक–व्यवस्थायां पौरोहित्य–महत्त्वावगमनम्
2. नित्य–नैमित्तिक–कर्मणां परिचयः।
3. पौरोहित्य–कर्मणः संस्काराणां च वैज्ञानिक–पक्षावबोधन–क्षमतोत्पादनम्।
4. पूजन–पद्धतेः यज्ञविधानस्य–मण्डल–निर्माणस्य च कौशलोत्पादनम्
5. प्रायोगिक–पौरोहित्य कर्मणः सम्पादन–कौशलोत्पादनम्।

समयः	पूर्णाङ्काः	सैद्धान्तिकाङ्काः	प्रायोगिकाङ्काः	न्यूनतम-उत्तीर्णाङ्काः
3.15 होराः	100	70	30	36

बिन्दवः	विषय-वस्तु	अङ्काः
(क)	**शुक्लयजुर्वेदीयरूद्राष्टाध्यायी (1 तः 8 अध्यायाः)**	**40**
	1. मन्त्राणाम् सस्वरम् लेखनम् कण्ठस्थीकरणम् च	30
	2. अंगन्यासविधिः पूजनम् च	10
(ख)	**ग्रहशान्तिः**	**30**
	1. त्रिकालसन्ध्यावन्दनप्रयोगः	10
	2. गणपतिपूजनम् कलशपूजनम्, नवग्रह, षोडशमातृकापूजनम् पुण्याहवाचनम्, स्वस्तिवाचनम्	20
(ग)	**प्रायोगिकम्**	**30**
	1. त्रिकालसन्ध्यावन्दनप्रयोगः	
	2. गणपतिपूजनम्, कलशपूजनम्, नवग्रह, षोडशमातृकापूजनम् पुण्याहवाचनम्, स्वस्तिवाचनम्	

निर्धारितानि पुस्तकानि –

1. शुक्लयजुर्वेदीयरूद्राष्टाध्यायी (1 तः 8 अध्यायाः)
2. ग्रहशान्तिः (लेखक – वायुनन्दन मिश्र)
3. सन्ध्यावन्दनप्रयोगः (गीताप्रेस, गोरखपुर)

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर
पाठ्यक्रम परीक्षा - 2024
कक्षा-कनिष्ठोपाध्यायः

पाठ्यक्रमः

वर्गः- 2 अनिवार्य-वैकल्पिकविषयः

संस्कृतवाङ्मयः

विषय कोड- 94

कक्षा-कनिष्ठोपाध्यायः

समयः	पूर्णाङ्काः	न्यूनतम-उ त्तीर्णाङ्काः
3 :15 होराः	100	36

क्र.सं.	अधिगमक्षेत्रम्		अङ्कभारः
1.	लघुसिद्धान्तकौमुदी(कृत्य-कृदन्त-उ त्तरकृदन्त-उणादि-समासाः)		40
	(क) रूपसिद्धिः	25	
	(ख) सूत्रव्या या(सोदाहरणम्)	15	
2.	शिवराजविजयः (प्रथमविरामस्य प्रथमो निःश्वासः)		20
	(क) सन्दर्भः, प्रसंगः, व्याख्या, भावार्थश्च	10	
	(ख)कविपरिचय-सम्बन्धिनः प्रश्नाः	02	
	(ग)विषयवस्तु-सम्बन्धिनः प्रश्नाः	08	
3.	नीतिशतकम्(01तः 50 श्लोकाः)		20
	(क) सन्दर्भः, प्रसंगः, अन्वयः, व्याख्या, भावार्थश्च	10	
	(ख) विषयवस्तु- सम्बन्धिनः प्रश्नाः	10	
4.	अमरकोषः(भूमि-पुर-शैल-सिंहादिवर्गाः)		10
5.	संस्कृतानुवादः, अशुद्धिसंशोधनम्, निबन्धलेखनम्		10

निर्धारित-पुस्तकानि-

1. संस्कृत-वाङ्मयादर्शः(प्रथमो भागः)
2. रचनानुवाद-कौमुदी, डॉ. कपिलदेव द्विवेदी